अध्याय–3

पन्ना–मुक्ता एवं मध्य और दक्षिण–ताप्ती क्षेत्र के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय 3 – पन्ना–मुक्ता एवं मध्य और दक्षिण–ताप्ती क्षेत्र के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1 विहंगावलोकन

3.1.1 1992 में लघु एवं मध्यम आकार के तेल एवं गैस क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्तावित करने के अनुक्रम में, जी.ओ.आई. नेपन्ना–मुक्ता तथा मध्य एवं दक्षिण ताप्ती अनुबंध क्षेत्रों, जो कि ओ एन जी सी द्वारा खोजे गये थे, को एक उत्पादन सहभागिता अनुबंध के तहत एक अल्पकालीन संगठन को प्रदाना किया (फरवरी 1994), जिसमें ओ एन जी सी (40 *प्रतिशत*), आर आई एल (30 *प्रतिशत*), ऑयल एवं गैस इंडिया लिमिटेड–एनरॉन (30 *प्रतिशत*)(एक साथकॉन्ट्रेक्टर कहे गये) शामिल थे।पी एस सी दिसम्बर 1994 में जी.ओ.आई. और कॉन्ट्रेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित किये गये। कॉन्ट्रेक्टर ने पी एम टी जे वी के नाम से एक अनिगमित सयुक्त उपक्रम (जे वी) बनाया। फरवरी 2002 में, बिट्रिश गैस एक्सपलोरेशन एण्ड प्रोडक्शन इण्डिया लिमिटेड (बी जी ई पी आई एल) ने एनरान की 30 *प्रतिशत* भागीदारी जे वी में प्राप्त किया तथा पी एस सी का एक पक्ष बन गया। वर्तमान में, क्षेत्र को ओ एन जी सी, आर आई एल तथा बी जी ई पी आई एल सुयंक्त रूप से प्रचालित कर रहें है।

पन्ना–मुक्ता–ताप्ती स्थान मानचित्र

पी एम टी संयुक्त उपक्रम
(ओ एन जी सी, आर आई एल और बी जी ई पी आई एल द्वारा परिचालित)

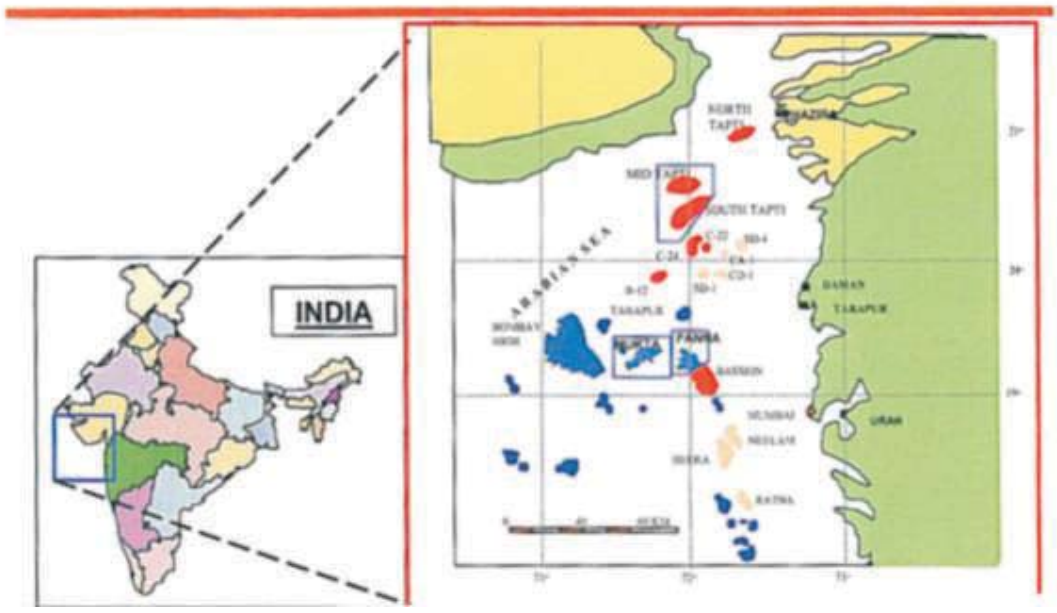

3.2 पन्ना–मुक्ता एवं मध्य–दक्षिण ताप्ती अनुबंध क्षेत्र में जे वी प्रचालन

3.2.1 पृष्ठ भूमि

3.2.1.1. पन्ना–मुक्ता (प्रधानतः एक तेल क्षेत्र) तथा मध्य–दक्षिण ताप्ती (गैस क्षेत्र) अपतटीय

बॉम्बेबेसिन में स्थित छिछले जल क्षेत्र है। निविदा के समय, पन्ना–मुक्ता अनुबंध क्षेत्र एक खोजा हुआ तथा ओ एन जी सी[74] का आंशिक रूप से विकसित तेल उत्पादक क्षेत्र था, तथा मध्य एवं दक्षिण ताप्ती अनुबंध क्षेत्र ओ एन जी सी का एक खोजा हुआ गैस क्षेत्र था। दोनों अनुबंध क्षेत्र जे वी द्वारा दो चरणों में विकासित किये गये थे।

3.2.1.2. पन्ना–मुक्ता में, परियोजना विकास की प्रारम्भिक योजना (आई पी ओ डी) 1995–99 के बीच क्रियान्वितकी गई थी जिसमें 3 वेलहेड प्लेटफार्म (पी सी, पी एफ और पी जी) स्थापित किये गये थे। विकास के दूसरे चरण में, अर्थात विकास के विस्तारित योजना (इ पी ओ डी) में 2004 से 2007 के बीच दो वेलहेड प्लेटफार्म (पी एच और पी जे) स्थापित किये गये।

3.2.1.3. इसी तरह, मध्य एवं दक्षिण ताप्ती अनुबंध क्षेत्र दो चरणों में, अर्थात आई पी ओ डी तथा नवीन संसोधित विकास योजना, (एन आर पी ओ डी) विकसित किया गया। आई पी ओ डी परियोजना 1995 और 1997 के बीच क्रियान्वितकी गई जिसमे जे वी ने तीन वेलहेड प्लेटफार्म अर्थात एस टी ए, एस टी बी, एस टी सी, संबद्व प्रसंस्करण एवं परिवहन सुविधाओं के दक्षिण ताप्ती क्षेत्र में विकसित किया गया। एन आर पी ओ डी परियोजना मार्च 2005 से अगस्त 2007 के बीच क्रियान्वित की गईजिसमें जे वी ने एक वेलहेड प्लेटफार्म एम टी ए मध्य ताप्ती क्षेत्र में, और बढ़े हुए उत्पादन को संभालने के लिए अतिरिक्त प्रसंस्करण एवं यातायात सुविधाओं सहित स्थापित किया। जे वी ने अगस्त 2006 मे दक्षिण ताप्ती क्षेत्र में एक वेलहेड प्लेटफार्म एस टी डी, बढ़े हुऐ उत्पादन को बनाये रखने के लिए स्थापित किया।

3.2.2 भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन

3.2.2.1. मार्च 2012 में प्रारम्भ किये जाने के बाद से पन्ना–मुक्ता तथा मध्य एवं दक्षिण ताप्ती अनुबंध क्षेत्र का भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन नीचे सारणीबद्व किया गया है।

तालिका 17 : पन्ना–मुक्ता एवं मध्य–दक्षिण ताप्ती अनुबंध क्षेत्र का वित्तीय एवं भौतिक निष्पादन (जैसा कि ऑपरेटर द्वारा बताया गया)

विवरण	पन्ना मुक्ता	मध्य–दक्षिण ताप्ती
पी एस सी के विवरण अनुसार भंडार	गैस 10171मिलियन एम^3 तेल 145 .67 मिलियन बी बी एल	गैस 29134 मिलियन एम^3 कंडेनसेट 12.35 मिलियन बी बी एल
संचयी उत्पादन[75]	गैस 20967.59 मिलियन एम^3 गैस 163.50 मिलियन बी बी एल	गैस 34908.39 मिलियन एम^3 कंडेनसेट15.42 मिलियन बी बी एल
सम्पूर्ण संचयी राजस्व	यू एस डॉलर11507.11मिलियन	यू एस डॉलर 5891.48मिलियन*

[74]ओ एन जी सी ने उत्पादन के लिए 5 कूप शीर्ष प्लेटफार्म (अर्थात पी ए, पी बी, पी डी, पी ई और एम ए कूपशीर्ष प्लेटफार्म) स्थापित किये तथा पी एस सी अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय पी एम टी जे वी को सुपुर्द कर दिये (दिसंबर 1994)।

[75]पी एम टी जे वी ने समय–समय पर भंडारों का विकास किया तथा मार्च 2012 को भंडारों की स्थिति यह थी:– पन्ना–मुक्ता–कच्चा तेल 292.95 एम एम बी बी एल, गैस–38711 एम एम एस पी सी तथा मध्य–दक्षिण ताप्ती–गैस–43035 एम एम एस सी एम, संधनित–17.22 एम एम बी बी एल

संचयी अनुबंध लागत	यू एस डॉलर 4036.89मिलियन	यू एस डॉलर 2219.23मिलियन*
सम्पूर्ण लागत वसूली (100%)	यू एस डॉलर 4036.89 मिलियन	यू एस डॉलर 2219.23मिलियन*
सम्पूर्ण पी पी	यू एस डॉलर 7478.98 मिलियन	यू एस डॉलर 3672.25मिलियन*
सम्पूर्ण कॉन्ट्रेक्टर्स पी पी	यू एस डॉलर 6613.42 मिलियन	यू एस डॉलर 2937.80मिलियन*
सम्पूर्ण जी.ओ.आई. पी पी	यू एस डॉलर 865.56 मिलियन	यू एस डॉलर 734.45मिलियन*
जी.ओ.आई. को भुगतान की गई सम्पूर्ण रॉयल्टी	यू एस डॉलर 499.50 मिलियन	यू एस डॉलर 479.03मिलियन*
जी.ओ.आई. को भुगतान किया गया सम्पूर्ण उपकर	यू एस डॉलर 439.20 मिलियन	यू एस डॉलर 24.59 मिलियन*

नोट: * वित्तीय आंकड़े ऑपरेटर के अनुसार है व सरकार द्वारा विवादित हैं, वर्तमान में न्यायालय में विचारित है।

3.2.2.2. पी एम टी जे वी ने कॉन्ट्रेक्ट क्षेत्र में अब तक (मार्च 2012) हुए लागत की 100 *प्रतिशत* वसूली कर ली थी। अर्जित सम्पूर्ण पी पी में से जे वी का अंश पन्ना–मुक्ता के संदर्भ में 88 *प्रतिशत* तथा मध्य दक्षिण ताप्ती के संदर्भ में 80 *प्रतिशत* था।

3.2.2.3. पुनरीक्षण अवधि के दौरान अनुबंध लागत, राजस्व तथा जी.ओ.आई. का पी पी का विवरण *जैसा ऑपरेटर ने सूचित किया,* निम्नवत है:

तालिका 18 : पन्ना–मुक्ता क्षेत्र

(यू.एस. मिलियन डॉलर में)

वर्ष	राजस्व	पूंजीगत व्यय	प्रचालन व्यय (ओपेक्स)	अधिभार	सम्पूर्ण अनुबंध लागत	जी.ओ. आई. पी पी	जी.ओ.आई. पी पी
2008-09	1414.96	432.60	117.83	80.49	630.93	117.61	15
2009-10	1308.20	190.59	96.41	88.58	375.57	139.89	15
2010-11	1115.92	90.08	125.26	66.53	281.87	125.11	15
2011-12	1565.88	29.35	128.55	77.43	235.32	199.58	15
योग	5404.96	742.62	468.05	313.03	1523.69	582.19	

तालिका 19 : मध्य एवं दक्षिण ताप्ती क्षेत्र

(यू.एस. मिलियन डॉलर में)

वर्ष	राजस्व	पूंजीगत व्यय	प्रचालन व्यय (ओपेक्स)	अधिभार	सम्पूर्ण अनुबंध लागत	जी.ओ. आई. पी पी	जी.ओ.आई. पी पी
2008-09	1002.19	10.45	68.08	85.22	163.75	167.69	20
2009-10	698.83	56.83	50.48	61.91	169.22	105.92	20
2010-11	619.33	0.93	53.25	52.90	107.08	102.45	20
2011-12	500.77	3.10	55.84	40.47	99.41	80.27	20
योग	2821.12	71.31	227.65	240.50	539.46	456.33	

ये जी.ओ.आई. द्वारा विवादित है एवं वर्तमान में मध्यस्थता कार्यवाही जारी है।

3.3 पी एस सी के तहत प्रतिबद्ध कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा लागत वसूली सीमा

3.3.1. पन्ना–मुक्ता तथा मध्य एवं दक्षिण ताप्ती के पी एस सी प्रतिबद्ध विकास कार्यक्रम (पी एस सी के परिशिष्ट–जी) निर्दिष्ट करते हैं जिसके लिए लागत वसूली सीमा (सी आर एल) क्रमशः यू एस डॉलर 577.5 मिलियन तथा यू एस डॉलर 545 मिलियन है। जे वी को पन्ना–मुक्ता क्षेत्र में मुक्ता बी विकास का प्रतिबद्ध कार्यक्रम और मध्य एवं दक्षिण क्षेत्र में 5 कूप प्लेटफार्म स्थापित करने का कार्य अभी भी क्रियान्वित करना है।

3.3.2. प्रतिबद्ध कार्यक्रम (पी एस सी का परिशिष्ट–जी) जैसा कि ऑपरेटर ने अभिलिखित किया, के क्रियान्वयन में सी आर एल के विरूद्ध मार्च 2012 तक वास्तविक व्यय नीचे दिया गया है:

तालिका 20 : किया गया वास्तविक व्यय

क्षेत्र/अनुबंध क्षेत्र	सी आर एल	पी एस सी के परिशिष्ट जी में मार्च 2012 तक कुल व्यय
पन्ना मुक्ता	यू एस डॉलर 577.5 मिलियन	यू एस डॉलर 347.23 मिलियन
मध्य एवं दक्षिण ताप्ती	यू एस डॉलर 545 मिलियन	यू एस डॉलर 670.41 मिलियन

3.3.3. परिशिष्ट जी में मार्च 2012 तक पन्ना–मुक्ता क्षेत्र में किये हुऐ कुल वास्तविक व्यय यू एस डॉलर 347.23 मिलियन में, (आंकड़े जो ऑपरेटर ने दावे किए) यू एस डॉलर 192.91 मिलियन के उभयनिष्ठ व्यय को, जो कि परिशिष्ट–जी में तथा परिशिष्ट–जी के बाहर आवंटित होने थे, को बाहर रखा गया। एम ओ पी एन जी ने सी आर एल से उपर अत्यधिक व्यय को अस्वीकृत किया। परिशिष्ट–जी के तहत मार्च 2012 तक ताप्ती में वास्तविक व्यय यू एस डॉलर 670.41 मिलियन हुआ (आंकड़े जो ऑपरेटर ने दावे किए) जिसमें परिशिष्ट जी में तथा परिशिष्ट जी के बाहर आवंटित होने वाले उभयनिष्ट व्यय यू एस डॉलर 105.88 मिलियन को शामिल नही किया गया। एम ओ पी एन जी/डी जी एच ने एम सी बैठक में सी आर एल से उपर यू एस डॉलर 324.35 मिलियन के अत्यधिक व्यय को अस्वीकृत कर दिया तथा जे वी को सी आर एल से उपर अत्यधिक वसूली गई लागत को व्युत्क्रमित करने तथा पैट्रोलियम लागत एवं लाभ को संशोधित करने का निर्देश दिया। ऑपरेटर मामले को मध्यस्थता के लिए ले गया। मध्यस्थता की वर्तमान स्थिति निम्नतया है।

3.3.4. मध्यस्थता से संबंधित मसले

3.3.4.1. साझेदार आर आई एल तथा बी जी ई पी आई एल ने पी एस सी के तहत जी.ओ.आई. को मध्यस्थता सूचना भेजी (दिसम्बर 2010)। आर आई एल तथा बी जी ई पी आई एल द्वारा किया गया दावा (i) पन्ना–मुक्ता और ताप्ती पी एस सी के तहत लागत वसूली प्रावधान (ii) आई एम की गणना (iii) पी एम टी पी एस सी के तहत देय रॉयल्टी की राशि (iv) कॉन्ट्रेक्टर द्वारा जी.ओ.आई. को देय उपकर (v) पी एस सी के तहत देय सेवा कर तथा (vi) लेखांकन तथा लेखापरीक्षा प्रावधानों के अर्थ एवं प्रभाव, से सम्बन्धित है।

3.3.4.2. जी.ओ.आई. ने भी आई टी अधिनियम के खण्ड 42 के तहत उपलब्ध व्यय भत्ता को दबाने, बढ़ी हुए बिक्री का लेखांकन, सी आर एल के आधिक्य में विकास लागत का लेखांकन, विक्रय राजस्व का लघु लेखांकन, आय कर दर, परिशिष्ट–जी के अनुसार प्रतिबद्ध कार्यक्रम न करना, विक्रय का लघु लेखांकन, विपणन अंशलाभ का लघु लेखांकन, त्रुटिपूर्ण पी एस सी के तहत लघु लेखांकन, सी आर एल के आधिक्य में लागत वसूली के लिए प्रति दावा किया।

3.3.4.3. अधिकरण ने (बहुमत से) सितंबर 2012 का अन्तिम एकमत आंशिक अवार्ड, प्राथमिक मुद्दों पर यह विचार रखते हुए दिया कि मध्यस्थता अधिकरण का अधिकार क्षेत्र प्राथमिक मसलों (अर्थात रॉयल्टी–उपकर, सेवा कर तथा सी.ए.जी. लेखापरीक्षा) पर न्याय करना हैं।

3.3.4.4. अभिकरण नेताप्ती पी एस सी के संदर्भ में एक अन्तिम आंशिक अवार्ड भी दिया (दिसम्बर 2012) कि

(i) विनिर्माण/ऐसी सुविधाओं की संस्चान/स्थापना, जो कि उपलब्ध खोजों से गैस उत्पादन को, ताप्ती आई पी ओ डी अधित्यका से उपर रखने के लिए आवश्यक हो, पैट्रोलियम के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण तथा यातायात के लिए आवश्यक हो, पर से संबधित प्रभावी तिथि के बाद लागत पूर्णतः वसूली योग्य होगी,

(ii) इन लागतों का निर्धारण उस समय किया जाना चाहिए जब इस कार्य के लिए एम सी से अनुमोदन माँगा या प्राप्त किया जाये,

(iii) जहाँ प्रत्यक्ष जी एण्ड ए तथा अन्य सेवा लागत, उचित रूप से विकास लागत पर आवंटित हों वे, यदि सी आर एल के तहत न आ रहे हो तो ताप्ती पी एस सी के अनुच्छेद 13.1.1,13.5 और 13.6 के तहत पूर्णतः वसूली योग्य होंगे। सभी जी एण्ड ए लागत तथा सेवा लागत सिवाय उनके जो सी आर एल के बाहर विकास कार्यो पर आरोप्य है, तथा पूर्णतः वसूली योग्य है,

(iv) अप्रत्यक्ष जी एण्ड ए तथा अन्य सेवा लागत (मुख्यालय तथा स्थापना खर्च); जहाँ ये लागत आई पी ओ डी अधित्यका स्तर पर गैस उत्पादन के लिए आवश्यक हो, सी आर एल के तहत आयेगे। यदि न हो, तो वे सीमा में नहीं आते हैं तथा मुख्यालय तथा स्थापना खर्च के रूप में पूर्णतः वसूली योग्य हैं, और

(v) सी आर एल एकमुश्त है।

मध्यस्थता अवार्ड ने भी कहा कि ये निष्कर्ष आवश्यक परिवर्तन सहित पन्ना–मुक्ता पी एस सी पर लागू होगी। दावेदार पर, ताप्ती या पन्ना–मुक्ता पी एस सी के तहत परिशिष्ट जी कार्य को पूरा करने की कोई बाध्यता नहीं होगी। अधिकरण ने एकमत से पाया कि पी एस सी के परिशिष्ट सी, खण्ड 1 अनुच्छेद 1.9 में वर्णित समय सीमा अन्तिम एवं बाध्यकारी नहीं है।

3.3.5. **मध्यस्थता की वर्तमान दशा**

- **सितम्बर 2012 का अन्तिम एकमत आंशिक अवार्डः** भारत के संघ (यू ओ आई) ने, दिल्ली उच्च न्यायालय में सितम्बर 2012 के अवार्ड को विवाचनता के आधार पर चुनौती दिया। उच्च न्यायालयने यह कहते हुऐ कि उपकर, रॉयल्टी, सेवा तथा सी.ए.जी. विवाचन योग्य नहीं है तथा

पक्षो द्वारा पी एस सी को प्रत्यक्ष या निहित रूप से विवाचनता एवं समझौता अधिनियम 1996 से बाहर नही किया गया है, यू.ओ.आई. के पक्ष में निर्णय दिया (मार्च 2013)। दावेदारों (बी जी ई पी आई एल तथा आर आई एल) द्वारा इस आदेश को 2013 के एस एल पी (सिविल) 20041 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यादेश दिया एवं उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को हटा दिया एवं मामलें पर (मई 2014) में बी.डी.ई.पी.आर.एल. एवं आर.आई.एल. के पक्ष में निर्णय किया। यू.ओ.आई. ने भारत के उच्चतम न्यायालय मे पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

- **दिसंबर 2012 का अंतिम आशिक अवार्ड:**सी आर एल मसलें पर 10 दिसम्बर 2012 के अवार्ड को भारत के संघ द्वारा भी 2 जनवरी 2014 के विवाचनता एवं समझौता अधिनियम 1996 के खण्ड 34 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।
- **श्री पीटर लीवर का कार्यादेशः** श्री पीटर लीवर, पी एम टी जे वी द्वारा नियुक्त, मध्यस्थ के जी. ओ.आई. के विरूद्ध पक्षपाती एवं पूर्वाग्रही पाये जाने पर तथा मध्यस्थता सुनवाई के के दौरान जी.ओ.आई. के गवाह को, तथा पक्षों के पत्रों के साथ पत्राचार को व्यवधानित करने के कारण उनके आचरण पर विचार करते हुए, जी.ओ.आई. ने मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय में (पी सी ए) श्री पीटर लीवर के कार्यादेश को चुनौती दी। पी सी ए ने अनसिट्राल मध्यस्थता नियमों के अनुच्छेद 10 (1) के तहत श्री पीटर लीवर, क्यू सी के विरूद्ध चुनौती को खारिज कर दिया। मध्यस्थता पर पी सी ए के निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय में जी.ओ.आई. ने चुनौती दी (जून, 2013)।

3.3.6. उपरोक्त सभी मसले जुलाई 2014 को न्यायालय के अधीन हैं।

3.4 इस अध्याय में निष्कर्षो का प्रस्तुतीकरण

इस प्रतिवेदन के अनुच्छेद 3.5 में अपनाये गये प्रतिदर्श क्रियाविधि शामिल है। व्यय सम्बन्धित मसलों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा आपत्तियां, जो कॉन्ट्रेक्टर के अभिलेख के लेखापरीक्षा में पाये गये, का विवरण 3.6. 1 तथा 3.6.2 में हैं। राजस्व एवं लेखाकंन मसलों पर प्रेक्षण अनुच्छेद 3.6.3 में है तथा मुख्यतः कॉन्ट्रेक्टर के लेखापरीक्षा से उत्पन्न हुऐ हैं। एम ओ पी एन जी/डी जी एच के निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान प्रेक्षित नियामक एवं निगरानी मसले अनुच्छेद 3.6.5 तथा 3.6.6 में है। पैट्रोलियम संचालन से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ पैरा 3.6.4 में हैं।

3.5 प्रतिदर्श क्रियाविधि

वर्तमान लेखापरीक्षा 2008–09 से 2011–12 के बीच लेन देन के लिये किया गया। 104 कॉन्ट्रेक्टों मे से (यू एस डॉलर 800.68 मिलियन) लेखापरीक्षा ने 66 कॉन्ट्रेक्टों (यू एस डॉलर 717.33 मिलियलन) का सवीक्षा के लिये चयन किया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने सभी 10 परियोजनाओं, जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान क्रियान्वयन के विविध चरण पर थे, को चयनित किया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने 2006–08 की अवधि के 22 कॉन्ट्रेक्टों (यू एस डॉलर 267.44 मिलियन) को भी परीक्षित किया था। यह कॉन्ट्रेक्ट पुराने लेखापरीक्षा अवधि के थे, लेकिन चूँकि अभिलेख पिछले लेखापरीक्षा कार्य के अन्त में उपलब्ध कराये गये थे, यह सहमति हुई थी कि ये तदुपरान्त पुनरीक्षित किये जायेंगे।

3.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

ऑपरेटर तथा एम ओ पी एन जी/डी जी एच के अभिलेखों के संवीक्षा से प्राप्त निष्कर्षो को 6 श्रेणियों में समूहित किया गया था अर्थातः (i) वसूली योग्य लागत एवं लागत वसूली (ii) अनुबंध प्रक्रिया में कमियाँ (iii) राजस्व (iv)पैट्रोलियम प्रचालन (v) पी एस सी प्रावधानों का अनुपालन और (vi) एम ओ पी एन जी/डी जी एच से सम्बन्धित मामले। प्रत्येक श्रेणी के निष्कर्ष की चर्चा नीचे की गई है।

3.6.1 वसूली योग्य लागत एवं लागत की वसूली

पी एस सी के अनुच्छेद 13 के अनुसार, पी एम टी जे वी प्रत्येक वित्त वर्ष में अनुंबध क्षेत्र से उत्पादित एवं संचित किये गए पेट्रोलियम की कुल मात्रा मे से अनुबंध लागत को वसूल करने का हकदार है अनुबंध लागत में उत्पादन, अन्वेषण एवं विकास लागत शामिल हैं।

पी एम टी जे वी ने अनुबंध क्षेत्र में अब तक (मार्च 2012) खर्च हुई लागत का 100 *प्रतिशत* वसूल कर लिया है। लागत की वसूली से सम्बन्धित मुद्दे नीचे वर्णित हैं:

3.6.1.1 *रिग मोबिलाईजेशन/ डी मोबिलाईजेशन प्रभार का अनुचित आवंटन*

3.6.1.1.1. पी एम टी जे वी पन्ना–मुक्ता तथा ताप्ती दोनों ही क्षेत्रों के लिए एक खाता बनाती है। यह रिग संघटन तथा विसंघटन प्रभारों को दो क्षेत्रों के मध्य या तो प्रत्येक खोदे गये कुएँ पर रिग द्वारा बिताए गये दिनों की संख्या या खोदे गये कुएँ की संख्या के आधार पर जो कि रिग संघटन एवं विसंघटन प्रभारों के आवंटन के लिए अधिक वास्तविक आधार होता, यह रिग संघटन प्रभार को प्रथम कुएँ की लागत पर तथा विसंघटन प्रभार रिग द्वारा खोदे गये आखरी कुएँ की लागत पर अनुबंध अवधि के दौरान करता है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि भारत में मुख्य ई एण्ड पी ऑपरेटर जैसे ओ एन जी सी और आर आई एल (के जी–डी डब्ल्यू एन–98/एन ब्लॉक) का आवंटन रिग संघटन एवं विसंघटन प्रभार क्रमशः कुएँ में प्रयोग किये गये दिनों की वास्तविक संख्या और कुएँ की खोदी गई संख्या पर आधारित होती है।चूँकि पन्ना–मुक्ता और मध्य एवं दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों से जी.ओ.आई का पी पी *प्रतिशत* भिन्न स्लैबों पर है, रिग संघटन एवं विसंघटन प्रभार का रिग द्वारा खोदे गये पहले और अंतिम कुँओं के आधार पर आवस्तविक आवंटन जी ओ आई के पी पी को प्रभावित कर सकता है।

3.6.1.1.2. पी एम टी जे वी ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा को (जनवरी 2014) और एम ओ पी एन जी (जुलाई 2014) में कहा कि *यह मसला दिसम्बर 1994 में प्रारम्भ किये गये पी एस सी के बाद से ही पी एम टी जे वी के लेखों से सम्बन्धित है और इसलिए इसमें शामिल अवधि लेखापरीक्षा परिक्षेत्र से बाहर है। इसका उपयोग इसकी व्यवहारिकता और सुगमता के लिए किया जाता है चूँकि खुदाई, कार्यक्रमों में अक्सर परिवर्तन होता है और रिग प्रारम्भ में नियोजित किये गये समय से ज्यादा अवधि तक क्षेत्रों में रह सकते हैं। इसका प्रयोग इस उद्देश्य से नहीं किया जाता है कि जी.ओ.आई. का लाभ पैट्रोलियम हिस्सा कम हो चूँकि सैद्धांतिक रूप से यह आवंटन किसी भी तरह से हो सकता है। कोई भी आवंटन किसी भी तरह से हो सकता है। कोई भी आवंटन विधि किसी न किसी तरह से त्रुटिपुर्ण होती। पी एम टी जे वी अपनी आवंटन क्रियाविधि में अब परिवर्तन करने को विवेकपूर्ण नही मानती। पी एम टी जे वी के आवंटन का परिणाम सी ए जी द्वारा मांगे गये परिणाम से बहुत अधिक अलग नहीं था।*

3.6.1.1.3. पी एम टी जे वी का उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है। पी एम टी जे वी ने रिग को दोनों ही पन्ना–मुक्ता एवं ताप्ती क्षेत्रों में लगाया है इसलिये रिग के संघटन एवं वियोजन को खोदे गये पहले एवं आखिरी कुँओं को आँवंटित करने के कारण इन दानों क्षेत्रों के बीच रिग की लागत का अनुचित आवंटन हुआ।

3.6.1.1.4. एम ओ पी एन जी ने (जुलाई 2014) में अपने उत्तर में कहा कि *संचित लागतों एवं संचित लाभ पैट्रोलियम पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी विचार किया जाना चाहिए, इसका प्रभाव दो पी एस सी के अंतर्गत प्रतिशत हिस्से की विसंगति पर पड़ता है। एम ओ पी एन जी ने आगे कहा कि मुद्दा कॉन्ट्रेक्टर द्वारा अपनायी जाने वाली लेखा प्रक्रिया का है, जिसके संबंध में लेखापरीक्षा को केवल कॉन्ट्रेक्टर से ही स्पष्टीकरण माँगना चाहिए था।*

3.6.1.1.5. लेखापरीक्षा एम ओ पी एन जी से सहमत है कि इसका प्रभाव संचित रूप से होगा। यद्यपि विभिन्न ऑपरेटरों ने विभिन्न विधियों को अपनाया। लेखापरीक्षा का यह मत है कि एम ओ पी एन जी/डी जी एच को एक साझा स्वीकार्य विधि को बनाने के लिए मसले को संबोधित करे जिससे किजी. ओ.आई. के लाभ को बचाया जा सके।

3.6.1.2 *मध्य एवं दक्षिण ताप्ती क्षेत्र में यू एस 0.52 मिलियन डॉलर का अधिक व्यय निर्धारित किया गया*

3.6.1.2.1. जे वी द्वारा पन्ना–मुक्ता तथा मध्य एवं दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों के बीच उभयनिष्ट व्यय को 50:50 के आधार पर आवंटित करता है। लेखापरीक्षा ने परियोजना कार्मिको से संबंन्धित खुदाई गतिविधि के लिए यू एस डॉलर 1.65 मिलियन मूल्य के व्यय के 809 उभयनिष्ठ मदों का पुनरीक्षण किया। यह पाया गया कि इसमें से यू.एस. डॉलर 1.37 मिलियन (कार्मिको पर कोई साझा व्यय का 83 *प्रतिशत*) पन्ना–मुक्ता तथा ताप्ती क्षेत्रों के बीच 50:50 के आधार पर आवंटित किया गया, जबकि क्षेत्र/परियोजना में प्रत्येक व्यक्ति के लिए वास्तविक समय पर की गई बुकिंग को प्रत्येक विभाग की मासिक समय लेखन पृष्ठो से आसानी से पहचाना जा सकता था। चूँकि पन्ना–मुक्ता तथा ताप्ती के लिए जी ओ आई पी पी अलग–अलग है, इसलिए 50:50 का आवंटन प्रत्येक क्षेत्र में बुकिंग को विकृत करेगा।

3.6.1.2.2. गलत बुकिंग के परिणामस्वरूप मध्य एवं दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों में यू एस डॉलर 0.52 मिलियन की अधिक बुकिंग हुई जिसके कारण जी ओ आई पी पी को यू एस डॉलर 0.026 मिलियन (परिशिष्ट –II) का कम भुगतान हुआ।

3.6.1.2.3. पी एम टी जे वी ने लेखापरीक्षा को अपने उत्तर में (जनवरी 2014) और एम ओ पी एन जी (जुलाई 2014) में कहा कि *आवंटन की यह प्रक्रिया शुरू से लगातार उसकी व्यवहारिकता और सरलता के कारण प्रयोग किया जा रहा है विशेष रूप से चूँकि शामिल संबन्धित लागत सभी उभयनिष्ठ लागतों के विस्तृत आवंटन को बनाने में लगने वाले समय को स्पष्ट नही करती है। साझा लागत महत्वपूर्ण नही थी (कुल अनुबंध लागत का 3.3 प्रतिशत)। पी एम टी जे वी अपनी आवंटन क्रिया विधि में अब परिवर्तन करने को उचित नही मानता।*

3.6.1.2.4. पी एम टी जे वी का उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है। चूँकि किये गये खर्च पन्ना–मुक्ता और ताप्ती अनुबंध क्षेत्रों से आसानी से पहचाने जाने योग्य थे, पी एम टी जे वी को उन्हें पन्ना–मुक्ता

और ताप्ती क्षेत्रों के बीच समान रूप से आवंटित करने की बजाय उसी के अनुसार बुक करना चाहिए था। अतः पी एम टी जे वी को जी ओ आई को पी एस सी के लेखा प्रक्रिया (ए पी) की धारा 1.7 के अनुसार अतिरिक्त दण्ड ब्याज देना चाहिए।

3.6.1.2.5. एम ओ पी एन जी ने (फरवरी 2014) में उत्तर मे कहा कि *'लेखापरीक्षा द्वारा पाये गये मध्य–दक्षिण ताप्ती एवं पन्ना–मुक्ता पी.एस.सी. के बीच खर्चे का कोई भी अनियमित आवंटन लेखापरीक्षा द्वारा चिहित की गयी धनराशि के लिए प्रतिकारी कार्यवाही के लिए लिया जाएगा।'*

लेखापरीक्षा सिफारिश 11 अभयनिष्ठ व्यय को उचित तरीके से पन्ना–मुक्ता तथा ताप्ती क्षेत्रों को तर्कसंगत रूपसे आवंटित किया जाना चाहिये जैसे कि किसी विशेष अनुबन्ध क्षेत्र में चिहिन्त किया जा सकने वाला वास्तविक व्यय या प्राथमिक गतिविधि पर व्यय के अनुपात में।

3.6.1.3 *पी.एस.सी के उल्लंघन में उपयोग नहीं किए गए उत्पादन इन्वेन्ट्री की 26.15 मिलियन यू. एस. डॉलर की लागत वसूली*

3.6.1.3.1. पी एस सी के ए पी के अनुच्छेद 3.1.8 (अ) के अनुसार, सूची में रखी गयी वस्तुएँ और उपकरण लेखों मे तभी दर्ज होगें जब उस वस्तु को सूची से हटा दिया जायेगा और पेट्रोलियम संचालनों मे प्रयोग किया जायेगा। तर्कसंगत सूचियों के लिये कॉन्ट्रेक्टर को लिबोर से एक *प्रतिशत* अधिक ब्याज दर पर ब्याज वसूल करने की अनुमति है। *लागतों को लेखा अभिलेखों और पुस्तकों में औसत लागत प्रणाली के आधार पर दर्ज किया जायेगा।*

3.6.1.3.2. हालाँकि, पी एस सी प्रावधान के विपरीत, कॉन्ट्रेक्टर पेट्रोलियम संचालनों में प्रयुक्त उत्पादन संबंधी वस्तुओं के वास्तविक उपयोग को बिना ध्यान में रखे खरीद की तिथि से ही लागत वसूल करता है। 31 मार्च 2012 को पी एम टी जे वी के पास यू एस डॉलर 26.15 मिलियन की (प्री–एस ए पी के पहले से जमा यानि कि अप्रैल 2005 से पहले–यू एस डॉलर 4.84 मिलियन) उत्पादन संबंधी वस्तुएँ थी जिनकी लागत वसूली की गई।

3.6.1.3.3. 31 मार्च 2012 को कुल वस्तुओं में से यू एस डॉलर 11.03 मिलियन की वस्तुओं का 4 वर्षों से अधिक प्रयोग नहीं किया गया था। पेट्रोलियम संचालनों मे बिना वास्तविक प्रयोग के उत्पादन संबंधी वस्तुओं की लागत वसूली ने जी ओ आई के पी पी अंश पर बुरा प्रभाव डाला।

3.6.1.3.4. पी एस सी के ए पी के अनुच्छेद 3.1.8 (अ) के अनुसार कॉन्ट्रेक्टर को पेट्रोलियम संचालनों में प्रयोग होने वाली तर्कसंगत उत्पादन वस्तुओं पर खरीद की तारीख से उपयोग होने तक के रख–रखाव की सम्बन्धित वित्तीय वर्षो से वस्तुओं को ढोने में आने वाली लागत की वसूली करते हुये वसूल की गयी अतिरिक्त पी पी से पी एस सी के ए पी के अनुच्छेद 1.7.3 के अन्तर्गत जी ओ आई को लिबोर से एक *प्रतिशत* अधिक ब्याज पर वापस करना चाहिये।

3.6.1.3.5. पी एम टी जे वी ने लेखापरीक्षा को (फरवरी 2014) और एम.ओ.पी.एन.जी. को (जुलाई 2014) के अपने उत्तर मे कहा कि :

1. *पेट्रोलियम संचालनों के लिये या उनके संबधित केवल नियन्त्रित परिसम्पत्तियों जैसे कि खुदाई करने वाली वास्तविक वस्तुएँ इन्वेन्ट्री हैं (परिशिष्ट सी का अनुच्छेद 4.2.1 (अ) देखें) इसके विपरीत, सी ए जी द्वारा निर्दिष्ट की गयी वस्तुएँ कम मूल्य की उपभोज्य वस्तुएँ है (जैसे*

रसायन,अतिरिक्त वाल्व, अपतर प्रयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों के लिये रख–रखाव पुर्जे, नट एवं बोल्ट आदि) जिनका प्रयोग संचालनों एवं रख–रखाव में किया जाता है। प्रारम्भ से ही देखा गया कि पी एम टी जे वी की लेखा नीति इन उपभोज्य वस्तुओं के सापेक्ष में खर्च की गयी लागत को उत्पादन लागत के रूप में वसूलने और लागत को उपभोग पर वसूल न करके खरीद पर वसूलने की रही है। तदनुसार, पी एम टी जे वी ने इन वस्तुओं के रख–रखाव में आने वाली किसी भी लागत को वसूल नहीं किया है।

2. *पी एम टी जे वी ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि ऐसी उत्पादन उपभोज्य वस्तुओं को ठीक–ठाक स्तर पर रखा जाये जिससे कि ऐसी वस्तुओं की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन में होने वाली समय की बर्बादी को टाला जा सके। 2005 से परियोजना की गतिविधियों में वृद्धि के कारण सम्बद्ध विशिष्टताओं की उपभोज्य वस्तुओं में समानुरूप वृद्धि हुई। एल 1 बोली लगाने वालों को अनुबन्ध देने के कारण अतिरिक्त पुर्जों को अलग–अलग निर्माताओं से खरीदा जाता है। परिणामस्वरूप, उपकरण के प्रत्येक मॉडल के लिये अक्सर अलग अतिरिक्त पुर्जों की आवश्यकता होती है जिससे कि तुरन्त प्रयोग में लाने के लिये संचित की जाने वाली अतिरिक्त पुर्जों की संख्या में वृद्धि होती है।*

3.6.1.3.6. जवाब निम्नलिखित तथ्यो के कारण स्वीकार्य नहीं हैः

(i) पी एस सी में प्रावधान है कि वस्तु की लागत की वसूली वास्तविक उपभोग होने पर ही की जायेगी और खरीद के समय से वस्तु की लागत की वसूली सही नहीं है।

(ii) पी एस सी के परिशिष्ट सी के अनुच्छेद 3.1.8. (अ) में वस्तु का उपभोज्य या कम मूल्य की वस्तुओं के रूप में भेद नहीं किया गया है और पुनःदोहराया गया है कि सूची में रखी गयी वस्तु या उपकरण का खर्च तभी वसूल किया जायेगा जब उनका पेट्रोलियम संचालनों में प्रयोग हो।

(iii) दूसरे पी एस सी जैसे कि के जी– डी.डब्ल्यू एन–98/3 और राव्वा ने भी पेट्रोलियम संचालनों में प्रयोग के बाद ही वस्तु का खर्च की वसूली का प्रावधान किया था।

3.6.1.3.7. उत्तर में, एम ओ पी एन जी (फरवरी 2014 में) स्वीकार किया कि *उपभोग नहीं की गयी वस्तुओं को एग्रीमेंट लागत का भाग नहीं बनाया जाना चाहिये और इसकी लागत वसूली की अनुमति नहीं है। इस मसले को मैसर्स शार्प एण्ड टैनन द्वारा वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के लिये उठाया गया था जिसे लेखापरीक्षक की संशोधित गणना में बकायदा सम्बंधित किया गया था। इस प्रकार की गणना को यदि सी ए जी आने वाले वर्षों के लिये करता है तो इसे सही ढंग से सुधार लिया जायेगा।और आगामी वर्षों में सुधार के लिए सहमति हुई। ऑपरेटर द्वारा अनुबंध लागत में यदि वर्षवार वस्तुयें शामिल की गई हैं तथा यह लेखापरीक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं तो यह आगामी वर्षों के लेखे में ठीक की जायेंगी।*

3.6.1.3.8. पी एम टी जे वी ने वर्ष 2008–12 से संबंधित वर्षवार उत्पादन इन्वैन्टरी के आंकडे उपलब्ध करवाये जबकि वर्ष 2006–08 से संबंधित आंकडे मांगने के बावजूद भी लेखापरीक्षा के अंतिम चरण तक भी ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये और इस तरह वर्ष 2008–09 में इन्वैन्टरी गतिविधि को आंका नहीं जा सका। वर्ष 2009 से 2012 के दौरन पन्ना–मुक्ता ओर ताप्ती अनुबंध क्षेत्र के वर्षवार उत्पादन इन्वैन्टरी गतिविधि (जैसा कि एम ओ पी एन जी द्वारा वांछित है) निम्न सारणी में दर्शायें गये है।

तालिका 21 : पन्ना–मुक्ता और ताप्ती अनुबंध क्षेत्र में उत्पादन इन्वैन्टरीगतिविधि

(मिलियन यू एस डॉलर में)

वर्ष	इन्वैन्टरीगतिविधि	
	पन्ना मुक्ता	ताप्ती
2009-10	2.64	1.59
2010-11	3.92	0.52
2011-12	1.49	1.22

लेखापरीक्षा सिफारिश 12 पी एम टी जे वी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उत्पादन इन्वैन्टरीको लेखा में तभी दर्ज किया जाये जबकि यह समाग्री इन्वैन्टरी से हटा लिया गया हो तथा पेट्रोलियम संचालनों में इस्तेमाल कर लिया गया हो जैसा कि पी एस सी में प्रावधान है।

3.6.1.4 *अतिरिक्त ड्रिलिंग इन्वैन्टरी के रख–रखाव लागत की वसूली के कारण जी ओ आई को 0.09 मिलियन यू.एस डॉलर के राजस्व का नुकसान।*

3.6.1.4.1. पी एम टी–पी एस सी के अनुच्छेद 3.1.8 (ए) में वर्णित है कि *' जहाँ तक सम्भव हो एवं कार्यकुशल तथा किफायती संचालन के सापेक्ष में पेट्रोलियम संचालनों में प्रयोग के लिये केवल ऐसी वस्तुएँ कॉन्ट्रेक्टर द्वारा खरीदी या प्रदान की जायेंगी जिनकी उपयुक्त निकट भविष्य में प्रयोग की आवश्यकता हो और जहाँ तक सम्भव हो अतिरिक्त स्टॉक के संचयन को नहीं होने दिया जायेगा। इन्वैन्टरी में डाली गयी वस्तुओं एवं उपकरणों को लेखा में तभी दर्ज किया जायेगा जब ऐसी वस्तुओं को इन्वैन्टरी से हटा दिया जायेगा एवं पेट्रोलियम संचालनों में प्रयोग किया जायेगा। कॉन्ट्रेक्टर को इन्वैन्टरी में दी गयी तर्कसंगत वस्तुओं की ढोने के लिये लिबोर दर से एक प्रतिशत अधिक दर पर ब्याज वसूल करने की अनुमति हैं। लागतों को लेखा अभिलेखों एवं पुस्तकों में औसत लागत प्रणाली के आधार पर दर्ज किया जायेगा।*

3.6.1.4.2. पी एम टी जे वी ने फरवरी 2009 तक स्पेयरेबेल ड्रिलिंग इन्वैन्टरी के रख–रखाव खर्च 549843 यू एस डॉलर को वसूल कर लिया है जिससे की जी ओ आई पी पी पर यू एस डॉलर 90178 का प्रभाव पड़ा जिसका पी एस सी के ए पी के अनुच्छेद 1.7.3 के अनुसार देय ब्याज के साथ भुगतान किया जाना चाहियें।

3.6.1.4.3. पी एम टी जे वी ने एम ओ पी एन जी को (जनवरी/जुलाई 2014) उत्तर में कहा कि *बशर्ते कि आँकड़े की लेखा सत्यापन हो इससे लागत वसूली वापस हो जायेगी और तदनुसार जी ओ आई को अतिरिक्त लाभ पेट्रोलियम का भुगतान होगा। एम ओ पी एन जी ने अपने उत्तर (जुलाई 2014) में कहा कि इस मामले को कॉन्ट्रेक्टर के साथ सुलझाया जायेगा।*

3.6.1.5 *हेलिडेक और ट्रस को पेट्रोलियम संचालन में प्रयोग न करने के कारण 0.814 मिलियन यू एस डॉलर का निष्फल व्यय*

3.6.1.5.1. एन आर पी ओ डी परियोजना में, ताप्ती जे वी ने (मार्च 2006 में) ताप्ती कम्प्रैश्न एण्ड प्रोसेसिंग प्लैटफार्म (टी सी पी पी) डैक को बनाने के लिये मैसर्स लैम्परैल एनर्जी लिमिटेड दुबई को अनुबन्ध प्रदान किया। अनुबन्ध में टी सी पी पी प्रौसेस प्लैटफार्म में हेलिडेक और ट्रस का निर्माण एवं प्रस्थापन शामिल है। चूँकि डेक का भार डेरिक बार्ज लिफ्टिंग क्षमता से अधिक था, हेलिडेक और ट्रस को निर्माण यार्ड से अलग कर दिया गया था और उसे ओ एन जी सी के न्हावा आपूर्ति बेस पर 29 मई 2007 से 6 फरवरी 2009 तक इस आशय के साथ रखा गया था कि उसे बाद में प्रस्थापित किया जायेगा। फरवरी 2009 में, हेलिडेक और ट्रस को गुजरात के पीपवाव यार्ड में पुनः स्थापित किया गया और तब से यह पीपवाव यार्ड पर बेकार पड़ा है। हेलिडेक और ट्रस के लिये खर्च की गयी कुल भण्डारण लागत 0.814 मिलियन यू एस डॉलर थी (फरवरी 2009 से जनवरी 2014)।

3.6.1.5.2. पी एम टी जे वी ने (जनवरी 2014) लेखापरीक्षा तथा एम ओ पी एन जी (जुलाई 2014) को उत्तर में कहा कि *'हेलिडेक और ट्रस को ऊपर की तरफ से हटाये जाने के बाद उसे भण्डार में रखा गया। क्योंकि इस उपकरण के वैकल्पिक उपयोगों पर विचार किया जा रहा था, टी सी पी पी प्लैटफॉर्म पर इन सुविधाओं का पुनः प्रस्थापन किफायती नहीं है क्योंकि केवल इसी उद्देश्य के लिये लिफ्टिंग बार्ज को किराये पर लेना पड़ता। पी एम टी जे वी ने मई 2010 में ऑपरेटर बोर्ड को उपकरण के निपटान का प्रस्ताव रखा। ऑपरेटर बोर्ड ने 26 अप्रैल 2013 को हैलिडैक के निपटान को अनुमोदित किया।पी एम टी जे वी ने 19 अगस्त 2013 को ऑपरेटर बोर्ड को हटाने की प्रणाली प्रस्तावित की जिसे ऑपरेटर बोर्ड ने 29 मई 2014 अनुमोदित किया। हैलिडैक जी ओ आई को 11 जून 2014 को दिया गया था तथा जी ओ आई ने 17 जून 2014 को यह बताया कि उसे हैलिडैक की जरूरत नहीं है। पी एम टी जे वी अब पी एस सी के अनुसार उपकरण का निपटान करेंगेतथा प्रक्रिया अनुमानित 4–5 माह में पूरी हो जायेगी।पी एम टी जे वी ने उपकरण का निपटान के लिये लगातार प्रयास किये। जब हेलिडेक और ट्रस को बेच दिया जायेगा बिक्री कि धनराशि को जी ओ आई को प्रेषित कर दिया जायेगा जैसा कि प्रथा है कि उन उपकरणों एवं वस्तुओं जिनकी जरूरत नही होती तथा बेच दिया जाता है।'*

3.6.1.5.3. यह सच है कि हेलिडेक और ट्रस को उसके हटाये जाने के लगभग सात (7) साल बाद तक पी एम टी जे वी द्वारा प्रयोग नहीं किया गया।पी एम टी जे वी के जवाब से यह पाया गया कि निपटान की प्रक्रिया में अनुचित रूप से विलंब हुआ क्योंकि बी जी ई पी आई एल का मई 2010 का प्रस्ताव ऑपरेटर बोर्ड द्वारा केवल अप्रैल 2013 में अनुमोदित किया गया और निपटान की प्रक्रिया केवल मई 2014 में अनुमोदित की गई। देरी के कारण, उपकरण की अवस्था खराब होगी और भण्डार का व्यय बढ़ाने के अलावा जी ओ आई को कम मूल्य की प्राप्ति होगी।

3.6.1.5.4. एम ओ पी एन जी ने अपने उत्तर में कहा (जून 2014) कि *लेखापरीक्षा आपत्तियाँ कॉन्ट्रेक्टर को सूचित कर दी गई हैं। कॉन्ट्रेक्टर के जवाब के आधार पर उपचारित कार्य किया जायेगा।*

3.6.2 अनुबन्ध प्रणालियों एवं अनुबन्ध कार्यान्वयन में कमियाँ

3.6.2.1 *रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) से आवंटन के आधार पर अधिक महँगे डी डी– 4 रिग को किराये पर लेने के कारण अधिक व्यय*

3.6.2.1.1. जून 2006 में, पी एम टी जे वी ने खुदाई के रिग को किराये पर लेने के लिये मैसर्स एन्सको मारटाइम के साथ चल रहे दो विद्यमान अनुबन्धों को आगे बढ़ा दिया। जहाँ एन्सको 53 रिग के लिये अनुबन्ध को एक वर्ष के लिये दिसम्बर 2007 तक आगे बढ़ाया गया वही एन्सको 50 रिग के लिये अनुबन्ध को दो वर्षों के लिये दिसम्बर 2008 तक बढ़ाया गया। इन दोनो अनुबन्धों मे समान नियमों एवं शर्तों पर आपस में तय की गई दर पर और एक वर्ष के लिये विस्तार का विकल्प था। अवधि खत्म होने के बाद, एन्सको 53 रिग के लिये किये गये अनुबन्ध को पी एम टी जे वी द्वारा सितम्बर 2008 तक बढ़ाया गया। उसके बाद आने वाली अवधि की आवश्यकता के लिये पी एम टी जे वी ने (मार्च/अप्रैल 2008) में एक निविदा आमन्त्रित की जिसमें मैसर्स ग्रेट शिप (एल 1 बोली लगाने वाले) ने (सितम्बर 2008) 185000 यू एस डॉलर की संचालन दर प्रतिदिन पर निर्धारित 31 मार्च 2009 को एच यू एल एल बी 294 रिग को प्रस्थापित करने का प्रस्ताव रखा। मैसर्स एन्सको मारटाइम ने निविदा विषय के अन्तर्गत एल 1 बोली लगाने वाले द्वारा रिग लगाये जाने तक (मार्च 2009 तक) अल्पकालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये 162500 यू एस डॉलर प्रतिदिन की संचालन दर पर एन्सको 50 रिग (जिसे की पहले ही दिसम्बर 2008 तक की वैधता के साथ पी एम टी क्षेत्र में लगा दिया गया था) को लगाने का प्रस्ताव रखा। इसी बीच जे वी के भागीदार आर आई एल ने (अक्टूबर 2008) डी डी–4 रिग का प्रस्ताव रखा जिसे उसने मैसर्स डीप ड्रिलिंग[76] से किराये पर लिया था और स्टैण्डबाई पर था। पी एम टी जे वी ने (अक्टूबर 2008) एंन्सको 53 रिग को हटाने के बाद गैप को कम करने के लिये 197000 यू एस डॉलर प्रति दिन की संचालन दर पर छःमाह की प्राथमिक अवधि के लिये आर आई एल से आवंटन आधार पर डी डी–4 रिग को किराये पर लिया। अक्टूबर 2008 से अप्रैल 2009 की अनुबन्ध अवधि के दौरान, डी डी–4 ने पन्ना–मुक्ता अनुबन्ध क्षेत्र में 5 इनफिल कुएँ खोदे।

3.6.2.1.2. लेखापरीक्षा ने यह पाया कि

(i) पी एम टी जे वी ने एम सी से खुदाई कार्यक्रम को अनुमोदित कराये बिना पन्ना–मुक्ता अनुबन्ध क्षेत्र में 5 इनफिल कुएँ खोदे। बाद में कार्ययोजना कोएम सी द्वारा अक्टूबर 2010 में अनुमोदित किया गया।

(ii) पी एम टी जे वी द्वारा डी डी–4 रिग के लिये भुगतान की गयी चार्टर किराये की रकम प्रचलित बाजार दर से अधिक थी तथा मार्च/अप्रैल 2008 में प्रस्तावित निविदा की दर से अधिक थी। 'रिग प्वॉइन्ट फिक्सचर्स' से डाउनलोड किये गये आँकड़ों ने दर्शाया कि अधिकतर ई एण्ड पी ऑपरेटरों ने सितम्बर से दिसम्बर 2008 की अवधि के दौरान समान तरीके के रिगों को 85000 यू.एस डॉलर से 146000 यू एस डॉलर तक प्रतिदिन किराये पर लिया था।

(iii) 2009–10 के खुदाई क्रियाओं के लिये बाद में (दिसम्बर 2008) आमन्त्रित की गयी निविदा में मैसर्स प्रीमियम ड्रिलिंग (एल 2 बोली लगाने वाले) ने डी डी–4 को 149000 यू एस डॉलर प्रतिदिन (जिसे 145000 यू एस डॉलर प्रतिदिन संशोधित किया गया था) पर कम चार्टर किराये दर पर देना प्रस्तावित किया। हालाँकि, अनुबन्ध को नौ माह की अवधि के लिए रिग

---

[76] 12 महानों की फर्म अवधि के लिए किराए पर लेना जो कि 26 नवन्बर 2007 से प्रभावी था जिसमें 6 महीने प्रत्येक की दो अवधियों में अनुबंध की अवधि विस्तारित करने का विकल्प था।

एन्सको 53 के लिए 105000 यू एस डॉलर प्रतिदिन पर मैसर्स ऐन्सको (एल 1 बोली लगाने वाले) को (मार्च 2009) प्रदान किया गया।

(iv) ऑपरेटर बोर्ड की बैठक (2 दिसम्बर 2008) में, ओ एन जी सी ने सुझाव दिया कि वर्तमान बाजार की स्थिति (तेल के गिरते हुये मूल्य) में , सेवाओं और वस्तुओं की दरें कम होने की सम्भावना थी। 2008–09 के दौरान, अप्रैल 2008 में अन्तर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम में 103.4 यू एस डॉलर (दुबई क्रूड) एवं यू एस डॉलर 109 (ब्रेण्ट क्रूड) प्रति बैरल से मार्च 2009 में क्रमशः 45.6 यू एस डॉलरएवं 46.5 यू एस डॉलर प्रति बैरल की भारी गिरावट दर्ज की गयी।

(v) इस प्रकार आर आई एल रिग को आंवटन आधार पर अधिक दर पर किराये पर लेने के कारण जे वी ऑपरेशन्स को यू एस 6.49 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त लागत आयी (4.07 मिलियन –34500 यू.एस. डॉलर X 118 दिन 1 जनवरी 2009 से 28 अप्रैल 2009 तक किराय शूल्क पर तथा 2.42 मिलियन यू.एस. डॉलर रिग डी.डी.–4 के मोबीलाइजेशन शुल्क पर)जिसके परिणामस्वरूप जी ओ आई पी पी पर लगभग 1.00 मिलियन यू एस डॉलर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

3.6.2.1.3. पी एम टी जे वी ने लेखापरीक्षा (जनवरी 2014) व एम ओ पी एन जी (जुलाई 2014) को अपने जवाब में कहा कि

(i) *रिग को न्यायसंगत पूर्वानुमानित से खुदाई के कार्यक्रम के आधार पर कार्य योजना में विशिष्ट कुँओं की खुदाई के अनुमोदन से पहले किराये पर लिया जाता है जिससे कि उपयुक्त रिगप्राप्त हो, खुदाई कार्य योजना का श्रेष्ठतम अनुपालन हो और अधिकतम हाइड्रोकार्बन का उत्पादन हो।*

(ii) *इन कुँओं के लिए संशोधन बजट ओ बी संकल्प के द्वारा दिनांक 10 अक्तूबर 2008 को प्रस्तुत किया गया जिसे डी जी एच ने 14 अक्तूबर 2008 को अनुमोदित किया।*

(iii) *पी एम टी जे वी ने दो रिग संचालन के लिए निविदा दी थी क्योंकि इन दो रिगों के लिए एक ड्रिलिंग कार्ययोजना सुनिश्चित थी। अतः इनस्को 50 के किराये पर लिए जाने के बावजूद भी रिग डी.डी.4 किराये पर लिया जाता तथापि डी.डी–4 हमेशा इनस्कों 50 के लिए अलग कुँओं का छेदन करता। पी एम टी जे वी ने रिग डी.डी.4 के प्रतिस्थापन के बावजूद भी रिग इनस्को 50 के विस्तार के लिए प्रयास किया, हालांकि ऐसा न करने का निर्णय किया क्योंकि इनस्को 50 डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के परिपत्र का अनुवर्ती नहीं था। आगे, उस समय नोबल डेन्टन एण्ड ऐशोसियेटस (मैरिन वारंटी सर्वेयर) ने 2009 मानसून क्षेत्र के लिए इनस्को 50 या 53 को मान्य नहीं किया।*

(iv) *2008 के क्वार्टर 1 तक यह स्पष्ट हो गया कि 2009 के मानसून के पहले की खुदाई विण्डो (अक्टूबर 2008 से अप्रैल 2009) के प्रयोग में साइट पर अपर्याप्त रिग होंगे क्योंकि उस समय किराये पर ली गई एक रिग (ऐन्सको 53) के रख–रखाव (ड्राई डॉकिंग) की योजना थी। इसलिये उस ड्रिलिंग विण्डो का उपयोग करने के लिये पी एम टी जे वी ने मार्च 2008 के अन्त में उस अवधि के लिये उपयुक्त रिग को किराये पर लेने के लिये निविदा आमंत्रित की । अप्रैल 2009 से पहले कोई भी उपयुक्त रिग उपलब्ध नहीं थी जिसका अर्थ यह है कि मॉनसून*

से पूर्व खुदाई की विण्डो खो चुकी होगी। इसलिये पी एम टी जे वी ने आवंटन आधार पर आर आई एल से 'डीप ड्रिलर 4' रिग को किराये पर लेने का निश्चय किया जोकि 2008 अक्टूबर मध्य से उपलब्ध था। यदि पी एम टी जे वी किसी और रिग की उपलब्धता की प्रतीक्षा करता तो, डी डी –4 द्वारा ड्रिल किए गए इनफिल कुँओं से नवम्बर 2008 से जून 2010 तक उत्पन्न 138 मिलियन यू एस डॉलर राजस्व स्थगित हो जाता संगत डब्ल्यू पी एण्ड बी में कुँए शामिल करने या न करने की परवाह किए बिना।

(v) *सितंबर 2008 से अंर्तराष्ट्रीय मूल्यों में कमी आनी शुरू हुई। रिगों का बाजार न केवल तेल के मूल्यों पर बल्कि अन्य कई तत्वों जैसे रिगों की आपूर्ति और मांग विशेषतः एक निश्चित क्षेत्र पर निर्भर करती है।*

(vi) *डी डी–4 रिग के 197,000 यू एस डॉलर की सहमत संचालन दिवस दर उस समय के बाजार की प्रचलित स्थिति के संगत थी जैसे कि उदाहरणार्थ, अक्टूबर 2008 में आमन्त्रित की गयी निविदा के उत्तर में ग्रेट शिप (एच यू एल एल बी 294) द्वारा प्रस्तावित रिग की जो केवल अप्रैल 2009 से उपलब्ध थी की एक संचालन दिन दर यू एस डॉलर 185,000 थी (24 महीने का अनुबंध)। इसलिये यह सही नही हैं कि सहमत रिग की दर अक्टूबर 2008 को बाजार की प्रचलित दर से अधिक थी। लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित रिग की कम दरें अक्टूबर 2008 के बाद की अवधि से सम्बन्धित है जब विश्व में तेल की कीमतें आश्चर्यजनक रूप से घटी थीं।'*

(vii) *सितंबर से दिसंबर 2008 के बीच की अवधि में हिंद महासागर और उसके आस–पास के क्षेत्रों से जैक–अप रिगों के लिए रिग प्वाईट आंकड़े दर्शाते है कि रिग दरें 109000 यू.एस. डॉलर से 225000 यू.एस. डॉलर प्रतिदिन की श्रेणी के बीच थी। ऑकडों में विविध अवधि के अनुबंध शामिल थे जैसे कि एक कुआ अनुबंध के लिए 165,068 यू.एस. डॉलर प्रतिदिन से 130,000 यू एस डॉलर प्रतिदिन का अनुबंध चार वर्षों के लिए। क्षेत्र में रिगों के लिए उच्च रिग दरें अप्रत्याशित नहीं थीं, विशेषतः वह जो कि रिग में अंर्तराष्ट्रीय कमी से पहले सहमत हुई थी स्पष्ट थी क्योंकि मई 2008 की आने वाले वर्षों में भारतीय रिग बाजार में कम आपूर्ति की हानि को वहन करने की आशंका थी (जैसा कि ओ डी एस पैट्रोडाटा–रिग पोईन्ट डाटा का सेवा प्रदाता ने एक अंतराष्ट्रीय रिग रिपोर्ट में बताया)। यह नोट किया गया कि ओ डी एस पैट्रोडाटा रिग प्वाइंट आंकड़े यह नहीं दर्शाते है कि वह क्या अनुबंधीय शर्तों थी जिसके अनुसार मूल्य सहमत हुए होते तथा वह हमेशा पूर्णतः सटीफ नहीं है (जैसा कि डी.डी.4 अनुबंध विवरण में दर्शाया गया है।)*

(viii) *रिग प्वांइट डाटा में शामिल रिगस की प्रचलित दरों में मोबिलाइजेशन/डी मोबिलाइजेशन शुल्क सम्मलित नहीं था जोकि प्रचुर हो सकता है। पी एम टी जे वी को रिग डी डी–4 को किराये पर लेने हेतू मोबिलाइजेशन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं थी। राउन मिस्सीसिपी ने डी डी4 के लिए नीलामी में मोबिलाइजेशन/डी मोबिलाइजेशन फीस की बोली से यू एस 19.99 मिलियन डॉलर अधिक बताईं। इससे स्पष्ट होता है कि 61233 यू एस डॉलर प्रति दिन की अतिरिक्त लागत, से एक वर्ष के अनुबंध के लिए हुआ। जबकि ग्रेट शिप, जोकि एल–1 बोली धारक था, की लागत यू एस डॉलर 191479 प्रति दिन, एक वर्ष के अनुबंध के लिये होता।*

3.6.2.1.4. पी एम टी जे वी का उत्तर निम्नलिखित कारणों से संतोषजनक नही है:

(i) जे ओ ए के खण्ड 6.8 (बी) 1 के अनुसार, पूँजी अनुबन्धों की प्रणाली में यह उल्लिखित है कि पूँजी अनुबन्धों से सम्बन्धित गतिविधियाँ केवल डब्ल्यू पी एवं बी के अनुमोदन के बाद ही प्रारम्भ की जायेंगी। इसलिये,डिलिंग कार्यक्रम के लिये बिना प्रचालन समिति(डी जी एच) की आवश्यक मंजूरी लिये बिना आवंटन आधार पर डी डी–4 रिग को किराये पर लिया जाना पी एम टी जे वी की अनुबन्धिक प्रणाली के अनुसार नहीं था। 19 दिसम्बर 2008 की ओ बी सभा में यह कहा गया कि यह सुनिश्चित किया जाय कि आर आई एल के जे वी हिस्सेदारी ने कहा था कि किसी भी कार्यक्रम के लिए सभी अनुबंध केवल कार्य योजना व बजट के एम सी अनुमोदन के बाद ही प्रदान किए जाने चाहिए।

(ii) डी जी एच ने 14 अक्टूबर 2008 के पत्र द्वारा केवल इन कूँओं को तकनीकी–वाणिज्यिक रूप से सक्षम मानकर अनुमोदित किया और इनको डब्ल्यू पी एंड बी, 2009–10 में शामिल करने का सुझाव दिया। इन कूँओं का बजट डी डी एच ने 14 अक्टूबर 2008 को अनुमोदित नहीं किया जैसा कि ऑपरेटर का दावा था। वास्तविक अनुमोदन अक्टूबर 2010 में ही किया गया।

(iii) पी एम टी जे वी के पास 2008–09 मे दो रिंगस के प्रतिस्थापन हेत पर्याप्त ड्रिलिंग कार्यक्रम, नहीं था जैसा कि पी एम टी जे वी की 2 दिसम्बर 2008 की ओ बी बैठक में लिये गये निर्णय से पता चलता है जोकि एनस्को 50 को डब्ल्यू पी एंड बी 2008–09 के अंतर्गत सीमित संख्या में अनुमोदित शेष कार्य रह जाने के संदर्भ में डी–हायर करने हेतू की गई थी।

(iv) ऑपरेटर का दावा था कि एनस्को 50, डी जी एस के परिपत्र (जुलाई 2008) का अनुपालक नहीं था और इसीलिये इसे अक्टूबर 2008 में किराये पर नहीं लेने को नवम्बर 2008 में पुनः ऑपरेटर द्वारा किराये पर लेने हेतु विचार करने के संदर्भ में देखा जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त डी जी एस का परिपत्र जोकि ऑपरेटर द्वारा उल्लेखित किया गया है, वह शर्तो का शिथिलिकरण था, ना कि उसका कड़ा बाध्यकरण था। निकास सम्मेलन के दौरान (जुलाई 2014), पी एम टी जे वी से अनुरोध किया गया कि एनस्को 50 को अयोग्य घोषित करने का दस्तावेज प्रमाण हेतु प्रस्तुत करें जोकि उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त नोबल डेनटन एंड एसोसिएट द्वारा एनस्को 50 को 2009 मानसून स्थान के लिये अयोग्य धोषित करना जैसा कि ऑपरेटर ने कहा, वह विशिष्ट रूप से पी के स्थान की ड्रिलिंग हेतु विशिष्ट था। यह स्थान डी डी–4 द्वारा ड्रिल नहीं किये गये तथा केवल मई 2009 से नवम्बर 2009 तक ड्रिल किये गये।

(v) पन्ना में 5 इनफिल कुओं की खुदाई को 2008–09 के लिये अनुमोदित डब्लू पी एण्ड बी में शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार पी एम टी जे वी का यह तर्क था कि पन्ना इनफिल कुओं की खुदाई में राजस्व को विलम्ब से बचाने के लिये डी डी–4 पुर्जे को किराये पर लेना जरूरी था, स्वीकार्य नही है।

(vi) सितम्बर और दिसम्बर 2008 के मध्य हिंद महासागर में और उसके आस–पास का जैक–अप रिगस का रिग प्वाइंट–डाटा जोकि पी एम टी जे वी द्वारा प्रस्तुत किया गया, से यह पता

चलता है कि 6 माह के लिये किराये के लिये रिग–दर (जैसा कि डी डी–4 में अनुबंध किया गया) की श्रेणी यू एस डॉलर 109000 से यू एस डॉलर 122000 प्रतिदिन थी। इसके अतिरिक्त ओ एन जी सी ने अक्टूबर 2008 में वैसे ही रिग्स किराये पर लिये और इसकी दैनिक दर यू एस डॉलर 162090 (ग्रेट ड्रिल चेतन) और यू एस डॉलर 162470 (नोबल जार्ज मैकलियोड) और यू एस डॉलर 147501 (ग्रेट ड्रिल चित्र) की श्रेणी में नवम्बर 2008 में किराये पर लिये गये।

(vii) एनस्को 50 के अनुबंध का विस्तार बिना अतिरिक्त भार, रिग मोबिलाइजेशन और डी मोविलाइजेशन हेतु किया गया जबकि पी एम टी जे वी ने डी डी4 के लिए यू एस डॉलर 2.42 मिलियन के रिग मोबिलाइजेशन का भुगतान किया। डी मोबिलाइजेशन दरों के लदान के पश्चात, डी डी–4 की संचालित दैनिक दर की गणना, 209284 यू एस डॉलर प्रति दर हुई जो कि एनस्को 50 के 162500 यू एस डॉलर प्रतिदिन के प्रस्ताव की तुलना में उच्च था।

3.6.2.1.5. इस प्रकार महँगे डी डी–4 रिग को किराये पर लेने के कारण यू एस 6.49 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त व्यय हुआ (यू एस 4.07 मिलियन डॉलर–यू एस डॉलर 34500*118 दिन, 1 जनवरी 2009 से 28 अप्रैल 2009 तक किराये की रकम और यू एस 2.42 मिलियन डॉलर डी डी–4 रिग का संघटन शुल्क) और परिणामस्वरूप जी.ओ.आई. पर यू एस 1.00 मिलियन डॉलर (लगभग) का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

3.6.2.1.6. एम ओ पी एन जी ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2014) *लेखापरीक्षा अपवाद को कॉन्ट्रेक्टर को सूचित कर दिया गया है। सी ए जी अपनी अंतिम रिपोर्ट में यह सिफारिश कर सकती है कि कॉन्ट्रेक्ट की लागत में से इस राशि को अस्वीकृत कर, कॉन्ट्रेक्टर के उत्तर, यदि कोई हो तो, को ध्यान में रखने के बाद।*

3.6.2.1.7. एक संबंद्व, जो कि आर आई एल है, से अनुचित रिग्स को किराये पर लेने के प्रभाव पर टिप्पणी की गई है। जी ओ आई को कॉन्ट्रेक्ट की लागत में से इसे अस्वीकृत करने के संबंध में विचार करना चाहिये।

3.6.2.2 *नामांकन आधार पर अनुबन्ध प्रदान करना*

(A) सुविधाओं की पुनःस्थापना

3.6.2.2.1. एस डब्लू पी परियोजना के बन्द होने के बाद (जैसा कि पैरा 3.6.4.1 में बताया गया है), पी एम टी जे वी ने अपनी सुविधाओं को पी एल स्थान पर स्थानान्तरित करने का निर्णय किया। पी एम टी जे वी ने मार्च 2010 में नामांकन आधार पर इन सुविधाओं को पुनःस्थापित करने के लिये मैसर्स स्वाइबर (पी के और एस डब्लू पी प्लैटफार्मों के प्रस्थापन के लिये पहले से कार्यरत कॉन्ट्रेक्टर) के साथ एक समझौता किया। यह पाया गया कि परिवहन एवं स्थापन के लिये वास्तविक लागत अनुमानित लागत से काफी अधिक थी।

3.6.2.2.1.1. अगस्त 2008 में निर्मित किये गये लागत अनुमान ने यू एस 15.8 मिलियन डॉलर की कुल लागत (संघटन एवं विघटन के लिये यू एस 6.0 मिलियन डॉलर को सम्मिलित करते हुये) इंगित की। इसके विपरीत वास्तविक अनुबंधित कीमत यू एस 35.98 मिलियन डॉलर (यू एस 29 मिलियन

डॉलर प्रस्थापन के लिये एवं यू एस 6.98 मिलियन डॉलर परिवहन के लिये) थी जो कि दुगनी से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, कार्य को मैसर्स स्वाइबर के साथ निविदा के स्थान पर जो कि पी एस सी में अनिवार्य है, समझौते के आधार पर प्रदान किया गया था।

3.6.2.2.1.2. पी एम टी जे वी ने लेखापरीक्षा (फरवरी 2014) और एम ओ पी एन जी (जुलाई 2014) को अपने उत्तर में कहा कि

- *यू एस 9.8 मिलियन डॉलर की परिवहन एवं प्रस्थापन की लागत सही नहीं है। यह अनुमान पी एल पी ओ डी से मिलता है जो कि अपेक्षित लागत का मात्र एक पूर्वानुमान था।*
- *चूँकि सामग्री स्वाइबर की देख–रेख में थी इसलिये पी एम टी जे वी ने अनुबंध प्रदान करने में समय को न्यूनतम करने के लिये एवं संशोधनों को लागू करने के लिये स्वाइबर को नियुक्त किया, यह चिन्ता थी कि अनुबंध के अपूर्ण क्षेत्र को लेकर वर्तमान में लागू अनुबंध में स्वाइबर के साथ विवाद हो सकता है एवं स्वाइबर से की विस्तृत पैमाने पर भण्डारण लागत को खर्च कराने की कोई इच्छा नहीं थी।*
- *यू एस डॉलर 26.5 मिलियन की लागत लग जाती यदि एस डब्ल्यू पी–पी के अनुबंध और वास्तविक उपयोग की विभेदी दरों का प्रयोग करते हुए पी एल की स्थापना की जाती।*
- *पूर्व अनुबंध के अन्तर्गत एस डब्लू पी एवं पी के प्लेटफॉर्म और पाइपलाइनों के प्रस्थापन के लिए मान्य यू एस डॉलर 26.5 मिलियन की तुलना में यू एस डॉलर 29 मिलियन की अनुबंध कीमत तर्कसंगत है।*

3.6.2.2.1.3. उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी एल प्लैटफॉर्म के लिये प्राक्कलन को एस डब्लू पी और पी के प्लेटफार्म के लिए प्राप्त की गयी निविदा की दरों के आधार पर बनाया गया था। सितम्बर 2008 में एस डब्ल्यू पी–पी के हेतु अनुबंध स्वाइबर को प्रदान किया गया जिसका प्राक्कलन एल–1 था। यू एस 26.5 मिलियन डॉलर की प्रस्थापन लागत दो प्लैटफॉर्म (एस डब्लू पी और पी के) और दो पाइपलाइन के लिये था और इसलिये इसकी तुलना एक पी एल प्लैटफॉर्म से नहीं की जा सकती है।

3.6.2.2.1.4. एम ओ पी एन जी ने अपने उत्तर में (जुलाई 2014) कहा कि *लेखापरीक्षा कि आपत्तियों को कॉन्ट्रेक्टर को सूचित कर दिया गया है। सी ए जी अपने अंतिम प्रतिवेदन कॉन्ट्रेक्टर के उत्तर, ध्यान में रखने के पश्चात्यदि कोई हो तो,में यह सिफारिश करे कि कॉन्ट्रेक्टर की लागत में से यह राशि अस्वीकृत की जाये, को । प्रस्तावित निविदा–प्रक्रिया का अनुपालन न करने पर, लेखापरीक्षा में टिप्पणी की गई है।* कॉन्ट्रेक्ट बिना प्रतिस्पर्धा के दिया गया और दरें भी समान कार्यों की तुलना में उच्च पाई गई। जैसाकि कोई मूल्य की खोज नहीं की गई, लेखापरीक्षा वर्तमान मामले में इसके प्रभाव को मूल्यांकित करने में असमर्थ है।

(B) विस्तृत योजना और खरीद सहायता

3.6.2.2.2. क्रियाविधि सी' के अन्तर्गत जे ओ ए की अनुच्छेद 6.8 के अनुसार, यू एस 3 मिलियन डॉलर से ज्यादा के अनुबन्धों के लिये डब्लू पी बी के अनुमोदन की आवश्यकता होती है और वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकता को निर्श्चित करते हुये जे वी निविदा दस्तावेज बनायेगा और दैनिक भारतीय समाचार पत्र में प्रस्तावित अनुबन्ध के लिये उन विक्रेताओं को, जिन्हे पहले सफल घोषित नहीं किया गया था, निविदा आमंत्रित करेगा एवं उसी के अनुरूप निविदा निकालेगा।

3.6.2.2.2.1. पी एम टी जे वी ने यू एस 3 मिलियन डॉलर के अधिकतम मूल्य के साथ दक्षिण ताप्ती क्षेत्र के विस्तार के लिये नामांकन आधार पर दिसम्बर 2005 में एन आर पी ओ डी को लागू करने में विस्तृत डिजाइन एवं प्राप्ति सहायता के लिये मैसर्स रनहिल वर्ले (आर डब्लू) को लैटर ऑफ इन्टैन्ट (एल ओ आई) जारी किया। छः महीने के भीतर, अनुबन्ध की रकम को यू एस डॉलर 8.5 मिलियन संशोधित किया गया और इस संशोधन द्वारा बढ़ायी गयी रकम का अभिलेखों में कोई भी कारण दर्ज नहीं है। (एन ओ ए) यू एस 8.5 मिलियन डॉलर आवंटन की सूचना (मई 2006) जारी की गई।

3.6.2.2.2.2. यू एस 8.5 मिलियन डॉलर के एन ओ ए के 30 अगस्त 2006 को हस्ताक्षर किये गये अनुबन्ध में यू एस 8.63 मिलियन डॉलर की कुल प्रतिपूर्ति इंगित है। इस प्रकार के परिवर्तन के लिये कोई भी कारण अभिलेखों में नहीं पाये गये।

3.6.2.2.2.3. आर डब्लू ने अप्रैल 2006 में 15 *प्रतिशत* प्रति व्यक्ति घण्टा दर में संशोधन का दावा किया जो कि 1 जुलाई 2006 से प्रभावी था। मई 2006 में जारी किये गये एन ओ ए में इस पर विचार नहीं किया गया लेकिन बी जी ई पी आई एल द्वारा मार्च 2007 में अनुबन्ध की लागत में बढ़ोत्तरी के साथ जो कि 1 जुलाई 2006 से पूर्व प्रभावी थी, एकतरफा अनुमोदित कर दिया गया (बिना समूह या ओ बी द्वारा विचार किये हुये)। केवल इस बढ़ी हुई स्टाफ लागत से ही यू एस 0.86 मिलियन डॉलर की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई।

3.6.2.2.2.4. बी जी ई पी आई एल ने यू एस 2.03 मिलियन डॉलर के परिवर्तन आदेश भी जारी किये जिसमे कार्य के लिये यू एस 0.66 मिलियन डॉलर भी शामिल था जो कि ओ बी द्वारा अनुमोदित नहीं था। यह पी एस सी के नियमों के अनुरूप नहीं था जिसमें यह प्रावधान है कि यू एस डॉलर 50,000 या अवार्ड के मूल्य का 10 *प्रतिशत* (जो भी कम हो) से अधिक सारे परिवर्तन आदेशों को ओ बी के पास अनुमोदन के लिये भेजा जायेगा।

3.6.2.2.2.5. इस प्रकार, यू एस 3 मिलियन डॉलर के कार्य के प्रारम्भिक अवार्ड मूल्य के विपरीत आर डब्लू को यू एस डॉलर 12.16 मिलियन का भुगतान किया गया। चूँकि कार्य को नामांकन आधार पर प्रदान किया गया था, कीमत की खोज नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त, यह तरीका जे ओ ए के नियमों की शर्तों के अनुकूल नहीं था।

3.6.2.2.2.6. पी एम टी जे वी ने लेखापरीक्षा (फरवरी 2014) एवं एम ओ पी एन जी (जुलाई 2014) को उत्तर में कहा कि उठाये गये मसले पी एम टी जे वी के संचालन प्रदर्शन के विषयों से सम्बन्धित थे और जे ओ ए में उल्लिखित पी एम टी जे वी के घटकों के दायित्व हैं; जी ओ आई, जे ओ ए में पक्ष नहीं है और ये मसले सी एण्ड ए जी लेखापरीक्षा के क्षेत्र/पुनरीक्षण से बाहर है। यद्यपि, जे वी ने निम्नलिखित उत्तर दिया:

- *'अभियान्त्रिकी एक आवश्यक गतिविधि थी जिसे मार्च 2006 तक समाप्त हो जाना चाहिये था और इस समयावधि को केवल आर डब्लू का प्रयोग करके ही पूरा किया जा सकता था, जो कि डिजाइन आधार, संरचना चित्र और खरीद इतिहास से एफ ई ई डी अनुबंध के कारण परिचित था।*

- *बोली लगाने वालों को चिन्हित करने के लिये दैनिक भारतीय राष्ट्रीय समाचार–पत्र का प्रयोग करने के अलावा जे ओ ए में दी गयी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। पी एम टी जे वी ने यह भी कहा कि यद्यपि एल ओ आई को ऑपरेटर बोर्ड के अनुमोदन से दस दिन पहले जारी कर दिया गया था, ऑपरेटर बोर्ड के सदस्यों को इसके लागू होने का ज्ञान था चूँकि लागत प्राक्कलन के बारे में ऑपरेटर बोर्ड को 8 दिसम्बर 2005 को बता दिया गया था। इसके अतिरिक्त, पी एम टी जे वी के भागीदारों ने इस एल ओ आई के जारी होने से कोई विवाद खड़ा नहीं किया।*

- *पी एम टी जे वी इस बात से सहमत नहीं हैं कि अनुबन्ध लागत की सही तरह से गणना नहीं की गयी। आर डब्लू के साथ किया गया अनुबन्ध घण्टे की दर पर आधारित था और एकमुश्त अनुबंध नहीं था। घंटे की दर एफ ई ई डी अनुबन्ध मे सहमत दर पर आधारित थी, जिसे प्रतिस्पर्धी निविदा द्वारा निकाला गया था। एल ओ आई में उल्लेख किया गया यू एस डॉलर 3 मिलियन मात्र एक जल्दी में किया हुआ और कम मूल्य का प्राक्कलन था जिसके पीछे यह उद्देश्य था कि काम शुरू हो सके जिसे बाद में काम के और सटीक कार्यक्षेत्र के आधार पर अनुबन्ध में निरंतर संशोधित किया जाना था। 8 दिसम्बर 2005 को ओ बी सदस्यों को लिखे गये पत्र में काम की लागत को यू एस डॉलर 8.95 मिलियन अनुमानित किया गया जिसे कार्य के क्षेत्र के लिए खर्च किया जाना था। यह कहना उचित नहीं होगा कि यह राशि एल ओ आई में नहीं दिखाई गई है क्योंकि विस्तृत कार्य क्षेत्र एल ओ ए जारी करते समय सहमति नहीं थी।*

- *यह सही है कि आर डब्लू ने अप्रैल और जून 2006 में क्रमशः वेतन और चार्ज–आउट दरों के बढ़ने के कारण सहमत घण्टों की दरों पर (संशोधनों का) दावा किया। पी एम टी जे वी ने आर डब्लू द्वारा दिये गये दस्तावेजों का पुनरीक्षण किया और संशोधनों को तर्कसंगत पाया चूँकि बाजार में तकनीकी स्टाफ का वेतन बढ़ चुका था।*

- *हांलाकि यह सही है कि वीजी ने बिना ऑपरेटर बोर्ड कि अनुमोदन के परिवर्तन आदेश जारी किए, पी एम टी जे वी भागीदारों ने इन राशियों पर कोई प्रतिवाद नहीं किया और इनकी तर्कसंगतता पर ध्यान से ही विचार कर सहमति हुई थी।*

- *यद्यपि ऑपरेटर बोर्ड के दिनांक 22 दिसम्बर 2005 के प्रस्ताव में यू एस डॉलर 8.5 मिलियन की लागत पर अनुमोदन हुआ था ऑपरेटर बोर्ड के इसी दिनांक के नोट में यह टिप्पणी की गई कि यह लागत का केवल अनुमान है जिसे घण्टे की दर के आधार पर खर्च किया जा सकता है। अन्ततः आर डब्लू ने इस अनुमान से अधिक खर्च किया और पी एम टी जे वी के अभिलेखों के अनुसार, आर डब्लू को यू एस 12,160,680.89 डॉलर का भुगतान किया गया। यह हांलाकि ध्यान देने योग्य है कि चूँकि पी एम टी जे वी ई पी सी एम योजना के अन्तर्गत परियोजना की खुद देखरेख कर रही थी, वह अक्सर आर डब्लू से भी गहनसम्पर्क में थी इसलिये आर डब्ल्यू द्वारा बिताए गए समय की उसे पूरी जानकारी थी।'*

3.6.2.2.2.7. उत्तर निम्नलिखित कारणों से स्वीकार्य नहीं है:

- जे ओ ए प्रावधानों के अनुसार, पी एम टी जे वी को यू एस 3 मिलियन डॉलर से अधिक के अनुबन्धों के लिये निविदा आमंत्रित करनी थी। इस मामले में पी एम टी जे वी ने जे ओ ए के

प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये निविदा आमंत्रित नहीं की। निविदा आमंत्रित ने करने से प्रतिस्पर्धा कम हो गयी और मंजूर की गयी दरों की तर्कसंगतता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- पी एम टी जे वी को आर डब्ल्यू द्वारा (8 दिसम्बर 2005 को) सूचित की गयी यू एस 8.9 मिलियन डॉलर की अनुमानित लागत की जानकारी थी और 12 दिसम्बर 2005 को ओ बी के अनुमोदन से एल ओ आई को जारी करते समय पी एम टी जे वी को इसे ध्यान में रखना चाहिये था। अतःयू एस 3 मिलियन डॉलर के साथ (एल ओ आई का) अधिकतम मूल्य पर रखा जाना तर्कसंगत नहीं था। पी एम टी जे वी का कथन कि दिसम्बर 2005 के लिये यू एस 3.00 मिलियन डॉलर का एल ओ आई मात्र एक प्रारम्भिक कम अनुमान था जिसकी मंशा कार्य प्रारम्भ करने की थी जिसे कि, ज्यादा स्टीक कार्यक्षेत्र के आधार पर हमेशा निरंतर संशोधित किया जाना था, सही नहींहै क्योंकि एल ओ आई को अग्रिम संशोधन के लिये बिना किसी अभिव्यक्त मंशा के अधिकतम मूल्य पर प्रदान किया गया था। व्यक्ति घण्टा दरों में वृद्धि/संशोधनों को भी आर डब्ल्यू द्वारा मई 2006 में एन ओ ए के रखे जाने से पहले सूचित किया गया था और इसे एन ओ ए को जारी करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिये था।

3.6.2.2.2.8. एम ओ पी एन जी ने अपने उत्तर (जुलाई 2014) में कहा कि *लेखापरीक्षा की आपत्ति को कॉन्ट्रेक्टर को सूचित कर दिया गया है। कॉन्ट्रेक्टर के उत्तर, यदि कोई हो तो, को ध्यान में रखने के पश्चात् सी ए जी अपनी अंतिम रिपोर्ट में यह सिफारिश करे कि इस राशि को कॉन्ट्रेक्टर की लागत में से अस्वीकृत किया जाये।*

3.6.2.2.2.9. प्रस्तावित कार्य विधि के अनुपालन न करने पर लेखापरीक्षा ने टिप्पणी की है। कॉन्ट्रेक्ट बिना प्रतिस्पर्धा के दिया गया और दरें, मिलते जुलते कार्यों की तुलना में उच्च देखी गई। क्योंकि कोई मूल्यों की खोज नहीं की गई, लेखापरीक्षा वर्तमान मामले में प्रभाव को मूल्यांकित करने में असमर्थ है।

3.6.3 बचाया गया एवं बेचा गया पैट्रोलियम

3.6.3.1. पी एस सी के नियमों के अनुसार, पन्ना–मुक्ता फरवरी 2005 में यू एस डॉलर 5.73 प्रति एम एम बी टी यू की संशोधित उच्चतम मूल्य पर पहुँच गया और ताप्ती अनुबन्ध क्षेत्र जून 2004 मे यू एस डॉलर 5.57/एम एम बी टी यू पर पहुँच गया। हालाँकि, गेल जिसे पैट्रोलियम एवं नैचूरल गैस मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण गैस उत्पादन को खरीदने के लिये नामांकितत किया गया था, ने संशोधित गैस कीमतों को मानने से इन्कार कर दिया और मार्च 2005 तक 3.11 डॉलर प्रति एम एम बी टी यू की प्रारम्भिक उच्चतम मूल्य[77] पर गैस कीमत का भुगतान करता रहा। इसके परिणामस्वरूप एम ओ पी एन जी ने (नवम्बर 2004) में गेल को एक वर्ष के लिये 3.86 डॉलर प्रति एम एम बी टी यू की दर पर 6 एम एम एस सी एम डी[78] (10.8 एम एम एस सी एम डी की कुल गैस उत्पादन में से) की आपूर्ति देने के लिये पी एम टी जे वी को निर्देशित किया और पी एम टी जे वी को अधिशेष गैस (4.8 एम एम एस

---

[77]इस आधार पर कि गैस को प्राथमिक क्षेत्र–विद्युत एवं उर्वरक सयंत्र– जो संशोधित गैस कीमतो को आत्मसात करने थे चूँकि उनकी उत्पादन कीमतों को नियन्त्रित कर दिया गया था।

[78]अप्रैल–मई 2005 के दौरान, गेल ने 6.0 एम एम एस सी एम डी की सहमत मात्रा के विपरीत केवल 1.5 से 2.0 एम एम एस सी एम डी को उठाया। पी एम टी जे वी को ताप्ती कुँओं को बन्द करना पड़ा क्योंकि उसने जी ए आई एल के साथ प्रतिबद्ध मात्रा के लिये अन्य खरीदारों से अनुबन्ध नहीं किये।

सी एम डी) को 3.11 डॉलर प्रति एम एम वी टी यू से ऊँची कीमत पर या गेल द्वारा प्रस्तावित कीमत पर बेचने की अनुमति दी। जे वी ने निजी ग्राहकों के साथ बची हुई 4.8 एम एम एस सी एम डी के लिये 3.96 डॉलर प्रति एम एम वी टी यू पर मार्च 2008 तक 3 वर्षो के लिये अनुबन्ध किया। प्राथमिकता क्षेत्र में पी एम टी गैस की आपूर्ति के संकट को देखते हुये जी ओ आई ने अपने पूर्व निर्णय का पुनरीक्षण किया। जी ओ आई के निवेदन पर (मार्च 2006 में) पी एम टी जे वी ने जी ए आई एल को 01.04.2006 से 31.03.2008 की अवधि के लिये 5 एम एम एस सी एम डी गैस को बाजार नियन्त्रित दर यू एस डॉलर 4.75 प्रति एम एम बी टी यू पर आपूर्ति की। पी एम टी जे वी द्वारा उत्पादित 10.8 एम एम एस सी एम डी से अधिक अतिरिक्त गैस को जे वी साझेदारों में उनकी पी आई के अनुसार बाँटा गया और उन्होंने यू एस डॉलर 4.60 प्रति एम एम बी टी यू से यू एस डॉलर 5.58 प्रति एम एम बी टी यू तक की विभिन्न कीमतों पर अलग–अलग अनुबन्ध किये। एम ओ पी एन जी ने अक्टूबर/नवम्बर 2007 में पी एम टी जे वी गैस आपूर्तियों का पुनरीक्षण किया और पी एम टी जे वी को गैस की अपनी सम्पूर्ण मात्रा को अप्रैल 2008 से प्रभावी संशोधित पी एस सी दर पर जी ए आई एल को बेचने का निर्देश दिया।

3.6.3.1.1. 2011–12 की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट नं. 19 में, लेखापरीक्षा ने पैरा संख्या 6.3.1 के द्वारा पूरी की पूरी जे वी गैस के 2005–2008 के दौरान विक्रय के विभिन्न मूल्यों पर विभिन्न पक्षों को बेचने पर टिप्पणी की थी। लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला की पूर्व निर्धारित पी एस सी फार्मूला पर नहीं माना गया जो कॉन्ट्रेक्ट की सन्तता पर बुरा प्रभाव डालता है यह कॉन्ट्रेक्ट वाली पार्टियों के दीर्घकालीन दृष्टिकोण से अत्यंत अवांछनीय है। वर्तमान रिपोर्ट में लेखापरीक्षा ने उन मामलों का विवेचन किया है जो अतिरिक्त गैस के उत्पादन से संबंधित है (10.8 एम एम एस सी एम डी से ऊपर व अधिक) जो पी एम टी जे वी से अतिरिक्त उत्पादन से है जो एम ओ पी एन जी निर्देशों तथा जी एस पी ए के उल्लंघन करके हुआ है जो नीचे दर्शाया गया है:

3.6.3.2. *एम ओ पी एन जी के निर्देषों का उल्लंघन करने के कारण हुइ गैस की बिक्री से यू.एस. डॉलर 9.92 मिलियन की हानि*

3.6.3.2.1. (अ) जी ओ आई ने निर्णय लिया की अतिरिक्त गैस उत्पादन (10.8 एम सी एम डी से अधिक) के वितरण के लिए उचित समय पर एक अलग से बैठक होगी।

3.6.3.2.2. हालाँकि जी ओ आई के निर्णय के विपरीत, पी एम टी जे वी से अपने हिस्से की गैस से 0.9 एम एम एस सी एम डी गैस की यू एस 4.75 डॉलर प्रति एम एम बी टी यू की दर पर ओ एन जी सी (जे वी साझेदार) ने टी पी एल के साथ जून 2006 में 12 वर्षो के लिये दीर्घावधि अनुबन्ध किया एवं गैस बिक्री खरीद समझौते (जी एस पी ए) पर हस्ताक्षर किया। बी जी ई पी आई एल एवं आर आई एल (जे वी के अन्य साझेदार) ने भी विकास योजना के दूसरे चरण से अतिरिक्त गैस के अपने हिस्से को निजी ग्राहकों को बेच दिया। हालाँकि यह जी ओ आई के निर्णय के विपरीत था, बिक्री यू एस 5.58 डॉलर प्राति एम एम बी टी यू थी। (यानी कि ताप्ती जे वी क्षेत्र की संशोधित सीमा दर) टी पी एल के साथ किये गये अनुबंध के अनुसार ओ एन जी सी पहली आपूर्ति के तिथि से 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात मूल्य पुनरीक्षण के प्रावधान के साथ 12 वर्ष की अवधि के लिए 0.90 एम एम एस सी एम डी के अपने हिस्से की गैस आपूर्ति करने पर सहमत हुआ। ओ एन जी सी ने एम ओ पी एन जी

को (दिसम्बर 2007 में) यह भी सूचित किया कि टी पी एल के साथ अनुबंध निविदा प्रक्रिया के तहत किया गया था इसलिए एम ओ पी एन जी/जी ए आई एल के द्वारा अनुबंध को माना जाना चाहिए। तत्पश्चात, एम ओ पी एन जी ने (मार्च 2008 में) ओ एन जी सी को सूचित किया कि टी पी एल के साथ किया गया अनुबंध जी ए आई एल को सौंप दिया जाएगा। टी पी एल को आपूर्ति 30 मई 2008 से आरंभ की गई और मई 2011 यू एस डॉलर 4.75 एम एच वी टी यू तक कम दर पर जारी रही। टी पी एल को पी एस सी मूल्य पर आपूर्ति जून 2011 से ही आरंभ की गई।

3.6.3.2.3. गैस की बिक्री के लिए टी पी एल के साथ जून 2006 में किया गया समझौता एम ओ पी एन जी के मार्च 2006 के निर्देशों का उल्लंधन था।

3.6.3.2.4. चूँकि बी जी ई पी आई एल एवं आर आई एल, ओ एन जी सी एवं टी पी एल के मध्य अनुबन्ध में पक्ष नहीं थे, पी एम टी जे वी ने (जनवरी 2014 में) ओ एन जी सी के उत्तर को प्रेषित कर दिया। *जवाब में ओ एन जी सी ने पी एम टी क्षेत्र से टी पी एल को गैस आपूर्ति पर एम ओ पी एन जी के 31 मार्च 2008 के पत्र की ओर ध्यान दिलाया जिसमें कहा गया था कि कीमतों का पुनरीक्षण अनुबंध में दी देय दरों (पर किया जायेगा) और उस समय विद्यमान पी एस सी दरें ऐसे पुनरीक्षण की तिथि से लागू होगी। अनुबन्ध के अनुसार दैनिक प्रतिबद्धता मात्रा (डी सी क्यू) और बिक्री गैस कीमत कम से कम तीन वर्षो के लिये मान्य थीं। टी पी एल को आपूर्ति 30 मई 2008 से शुरू की गयी और अनुबन्ध/अनुबंध की प्रतिबद्धताओं के नियम एवं शर्तो के अनुसार इसके संशोधनों को मई 2011 के बाद से लागू किया गया। तदनुसार टी पी एल को आपूर्ति के लिये पी एस सी कीमतों को जून 2011 से लागू किया गया। उपरिलिखित को देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता है कि ओ एन जी सी द्वारा टी पी एल को गैस की बिक्री एम ओ पी एन जी निर्देशों का उल्लंघन है।*

3.6.3.2.5. उत्तर स्वीकार्य नहीं है। ओ एन जी सी ने मार्च 2006 के एम ओ पी एन जी के निर्देशों पर ध्यान नहीं दिया जिसमें सुस्पष्ट कहा गया था कि उचित समय पर गैस के अतिरिक्त उत्पादन को वितरण करने से संबंध में एक अलग बैठक बुलायी जायेगी और जून 2006 में और पी एस सी दरों से कम दर पर अपने हिस्से की गैस को यू एस 4.75 डॉलर प्रति एम एम वी टी यू की दर पर बेचने के लिये टी पी एल के साथ जी एस पी ए पर हस्ताक्षर किये। हालाँकि अन्य दोनों साझेदारों ने भी एम ओ पी एन जी के निर्देशों को नजर अन्दाज़ किया फिर भी उनके हिस्से की अतिरिक्त गैस यू एस 5.58 डॉलर प्रति एम एम बी टी यू (पर बिकी) यानि कि ताप्ती पी एस पी की अधिकतम दर से यू एस 0.01 डॉलर प्रति एम एम बी टी यू अधिक दर एम ओ पी एन जी ने भी (नवम्बर 2007 में) उसके निर्देशों को न मानने के लिये अप्रसन्नता प्रकट की और पी एम टी जे वी अप्रैल 2008 से पूरी उत्पादित गैस पी एस सी दरों पर गेल को बेचने का निर्देश दिया। एम ओ पी एन जी को (मार्च 2008 में) ओ एन जी सी के टी पी एल के साथ किये अनुबन्ध को मानना पड़ा चूँकि अनुबन्ध पहले ही किया जा चुका था। इस प्रकार,एम ओ पी एन जी के निर्देशों को न मानने के कारण पी एम टी जे वी (ओ एन जी सी) को यू एस 19.62 मिलियन डॉलर की आमदनी का नुकसान हुआ। इससे जी ओ आई हिस्से पर पी पी, रॉयल्टी और आयकर के रूप में यू एस डॉलर 9.92 मिलियन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

3.6.3.2.6. एम ओ पी एन जी अपने उत्तर (जुलाई 2014) में बताया कि *न सी ए जी की इस रिपोर्ट में ना ही 2011 की रिपोर्ट संख्या 19 में पी एम टी जे वी की 2005 से 2008 के दौरान पी एस सी कीमत से कम कीमत पर सप्लाई पर कोई विपरीत टिप्पणी की, 2008 के बाद ओ एन जी सी की*

टी पी एल को यू एस डॉलर 4.75 प्रति एम एम बी टी यू के संबंध में सी ए जी की विपरीत टिप्पणी के कारण पी एम टी जे वी द्वारा निर्धारित मूल्य का पुनराआवलोकन करना तर्कसंगत होगा। (जो कि सी ए जी द्वारा टैंडर द्वारा रिपोर्ट नहीं दिया गया जो नही किया गया जो कि ओ एन जी सी के विपरीत था) जो 2008 से पूर्व के मूल्य से कम था। इस बात पर अंतिम रिपोर्ट में चर्चा होनी चाहिए ताकि कॉन्ट्रेक्टरों द्वारा भिन्न–भिन्न कीमतें वसूलने पर एक समान सुसंगत दृष्टिकोण बनाया जा सके। 2011–12 की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर सी ए जी ने गेल के पी एस सी मूल्य पर गैस खरीदने की मनाही पर विपरीत टिप्पणी की थी लेकिन पी एम टी जे वी द्वारा पी एस सी मूल्य से कम मूल्य पर प्रत्यक्ष बिक्री पर अपने विचार प्रकट करने पर असमर्थ रहा।

3.6.3.2.7. *सी ए जी को यह पता हो सकता है कि पी एम टी जे वी की दो कम्पनीयों ने जी ए आई एल की मूल्य निर्धारण मामले पर जी ए आई एल के खिलाफ मध्यस्थता की तथा जी ए आई एल द्वारा अदा किए गए मूल्य पर थोड़ा बढोत्तरी पर अंतिम निर्णय लिया गया। गैल द्वारा प्राप्त मूल्यों की बढोत्तरी की दिशा में जो प्रत्यक्ष खरीददारों द्वारा अदा किये गए, सी ए जी कीमतों की बढोत्तरी की उपयुक्तता पर एक नजर डाल सकता है, चूँकि 'प्रत्यक्ष' बिक्री के ग्राहक या तो कम्पनियाँ स्वंय है या फिर उनकी सहायक कम्पनियाँ, गैस की मूल्य निर्धारण को पुनः शुरूआत से कोई वाणिज्य संबंधी पेचीदगियाँ नही होगी।*

3.6.3.2.8. *एम ओ पी एन जी ने यह बात भी बताई कि सी ए जी द्वारा बताए गए मामलों में यह मामला भी था कि कॉन्ट्रेक्टर ने पी एस सी मूल्य से कम मूल्य लगाने के कारण कम आय कर दिया। कॉन्ट्रेक्टर के जवाब को विचार में लाने के बाद लेखापरीक्षा ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी करने के बाद यह आयकर विभाग को अंतिम दृष्टिकोण लेने के लिए सूचित करेगा।*

3.6.3.2.9. *चूँकि पी एस सी जी ए आई एल को गैस का क्रेता निर्धारित करता है तथा गैस क्रेता हेतु मूल्य निर्धारण का सूत्र निर्धारित करने हेतु विशेष नियम व शर्ते प्रदान करता है इसलिए एम ओ पी तथा एन जी द्वारा प्रदान सूचना को पी एस सी नियमों पर सुधार नहीं समझा जा सकता।*

3.6.3.2.10. *सी ए जी द्वारा बताये गए एन ओ पी एंड एन जी के सम्प्रेक्षण उस परिस्थिति का परिणाम है जहाँ पी एस सी के अनुसार पी एस यू नामांकित गेल को ऊँचा मूल्य देना था किन्तु जी ए आई एल की आवश्कता के अनुसार गैस मूल्य की सब्सीडी पर ऊँचा मूल्य न दे सका, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ओ एन जी सी की मूल्य निर्धारण विधि एक टैंडर प्रक्रिया द्वारा होती है, सी ए जी के सम्मुख अंतिम सिफारिश को विचाराधीन हेतु जो मामला था वह यह था कि क्या उन परिस्थितियों में कोई और उपयुक्त विकल्प उपलब्ध था या नहीं।*

3.6.3.2.11. निम्नलिखित के संदर्भ में एम ओ पी एन जी के जवाब को देखा जा सकता है:

(i) 2011–12 की रिपोर्ट सं. 19 ने पी एस सी मूल्य के प्रति पालन न होने के बारे में इंगित किया था जिससे कॉन्ट्रेक्ट की पवित्रता पर प्रभाव पड़ा था (जो सभी पक्षों द्वारा माना जाना चाहिए। 2005–08 की रिपोर्ट के पैरा 6.3.1 में इस बात का विवेचन कर दिया गया था कि जिन विभिन्न मूल्यों पर 10.8 एम एम एस एम डी गैस को पी एम टी जे वी द्वारा गेल तथा इसके सहायक कम्पनियों को बेचा गया, वर्तमान टिप्पणी अतिरिक्त 5.7 एम एम एस सी एम डी गैस

की भागीदारों द्वारा बिक्री के बारे में है जिसमें ओ एन जी सी द्वारा पी एस सी मूल्य से कम पर गैस की बिक्री एक चिन्ता का विषय है।

(ii) पी एस सी मूल्य की उपेक्षा कर दी गई थी इसीलिए एम ओ पी एन जी के दखल की जरूरत पड़ी अतिरिक्त गैस की बिक्री तथा उसके प्रभाव के संबंध में सभी पक्षों द्वारा एम ओ पी एन जी निर्देशों का पालन न करने पर लेखापरीक्षा ने टिप्पणी की है,

(iii) जहाँ एक तरफ इस बात से इनकार नही किया जा सकता है कि ओ एन जी सी निविदा प्रक्रिया से गुजरा, मुख्य बात यह है कि इस बात के लिए ओ एन जी सी को एम ओ पी एन जी से अनुमति प्राप्त नहीं थी तथा जिस मूल्य पर लेन–देन निश्चित हुआ वह पी एस सी मूल्य से कम था।

(iv) अन्य भागीदारों आर आई एल तथा बी जी ई पी एल ने अपने गैस के हिस्से की बिक्री द्वारा पी एस सी मूल्य प्राप्त किया। यह ओ एन जी सी हेतु ज्यादा बेहतर विकल्प की उपलब्धता का द्योतक है।

3.6.3.2.12. (B) लेखापरीक्षा ने आगे यह देखा कि जी ओ आई ने यह भी निर्देश दिया कि आपूर्ति पी एम टी क्षेत्रों से उत्पादन के वर्तमान स्तर पर ही जारी रहेगी तथा इसमें कमी होने कि स्थिति में टी पी एल सहित सभी ग्राहकों को आपूर्ति में यथा अनुपात कटौती की जायेगी। त्रिपक्षीय समझौते का अनुच्छेद VIII भी कहता है कि *'सभी पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि वर्तमान अनुबन्ध की धारा 2.3 के तहत टी पी एल को गैस की आपूर्ति पी एम टी क्षेत्रों से उत्पादन के वर्तमान स्तर (यानि कि 17.3 एम एम एस सी एम डी) पर की जायेगी जैसा कि गेल और पी एम टी जे वी के मध्य हुये गैस आपूर्ति अनुबन्ध में प्रावधान है और ऐसा न होने पर अनुलग्नक* II *के अनुसार टी पी एल को आपूर्ति में यथानुपात कटौती की जायेगी। तदनुसार, विद्यमान अनुबन्ध की धारा 2.1 बी के अन्तर्गत या विद्यमान अनुबन्ध में कही और बताये गये प्रत्येक 3 वर्षों के पश्चात् मात्रा का पुनरीक्षण लागू नही होगा।'*

3.6.3.2.13. यद्यपि 2008–09 से 2011–12 के वर्षों के दौरान ताप्ती और पन्ना–मुक्ता क्षेत्रों में उत्पादन में भारी गिरावट आयी थी, फिर भी ओ एन जी सी द्वारा टी पी एल को आपूर्ति में यथानुपात कटौती नहीं की गयी। इसके विपरीत ओ एन जी सी ने 2008–09 के बनस्पद 2009–10 से 2010–11 के दौरान और अधिक गैस टी पी एल को बेच दी। इसके परिणामतः ओ एन जी सी को यू एस डॉलर 4.17 मिलियन (जी ओ ओई – पी पी व रॉयल्टी का निवल) का राजस्व घाटा हुआ (जो पैरा 3.63.2.5 में टिप्पणित यू एस डालर 19.62 मिलियन के राजस्व घाटे में शामिल है।)

3.6.3.2.14. बी जी ई पी आई एल और आर आई एल जो ओ एन जी सी और टी पी एल के बीच साझेदार नहीं थे, पी एम टी जे वी ने (जनवरी 2014 में) ओ एन जी सी के उत्तर को प्रेषित किया। ओ एन जी सी ने कहा कि, *''त्रिपक्षीय समझौते का अनुच्छेद* VIII *ओ एन जी सी पर लागू नहीं था। त्रिपक्षीय के अनुसार, जी ए आई एल विद्यमान अनुबन्ध के प्रदर्शन के लिये पूरी तरह से जिम्मेदार होगा जिसमें गैस की आपूर्ति, नियम एवं शर्तो का पालन शामिल है और इस अनुबन्ध में ओ एन जी सी की किसी भी प्रकार के दायित्व की जिम्मेदारी नहीं होगी।''*

3.6.3.2.15. ओ एन जी सी का उत्तर विश्वसनीय नही है। चूँकि ओ एन जी सी अपने हिस्से की गैस टी पी एल को पी एस सी की दरों से कम में बेच रहा था इसलिये त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार

ओ एन जी सी के लिये यह आवश्यक था कि वह उत्पादन में कमी के बारे में सूचित करे जिससे की वह अपने वित्तीय लाभ को बचाने के लिये टी पी एल को आपूर्ति में यथानुपात कटौती कर सके। इस प्रकरण में ओ एन जी सी की विफलता ने निजी साझेदार यानि कि टी पी एल को ओ एन जी सी की कीमत पर लाभ पहुँचाया जिसे (ओ एन जी सी) यू एस 4.19 मिलियन डॉलर की आमदनी का नुकसान हुआ और परिणामस्वरूप इसका जी ओ आई हिस्से पर यू एस 1.48 मिलियन डॉलर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

3.6.3.2.16. पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने उत्तर (जुलाई 2014) में कहा कि *लेखापरीक्षा अपवाद ओ.एन.जी.सी. को अधिसूचित किया जा चुका है तथा सी.ए.जी. ने ओ एन जी सी की प्रतिक्रिया पर विचार किया। लेखापरीक्षा के द्वारा उद्धृत प्रावधानों के अनुसार क्या गेल ने टी पी एल को दी जाने वाली आपूर्ति कम कर सकता था जिसे विशेषकर देखे जाने की आवश्यकता है, तथ्यों के आधार पर पूर्णतया सहमत मात्रा पर, जो टी पी एल की आपूर्ति हेतु वास्तव में उपलब्ध थी।*

3.6.3.2.17. जैसा कि त्रिपक्षीय समझौता के पैरा अनुच्छेद VIII में कहा गया था कि गैस उत्पादन में कमी की अवस्था में टी पी एल को परोराटा कमी की आपूर्ति की जाएगी जैसा कि टी पी एल को अधिक मात्रा में गैस बेचने पर ओ एन जी सी को हानि भुगतनी पड़ीं इस हित को उपयुक्त रूप से बचाया जाना चाहिए था।

3.6.3.3. *पी एस सी के उल्लंघन के कारण पन्ना मुक्ता गैस के बेचने पर यू.एस.डॉलर 0.52 मिलियन का सरकारी राजस्व घाटा*

3.6.3.3.1. जबकि ओ एन जी सी ने 5.7 एम एम एस सी एम डी की अतिरिक्त गैस को यू एस डॉलर 4.75 प्रति एम एम वी टी यू पर बेचा, अन्य दो साझीदारों (आर आई एल और बी जी ई पी आई एल) दोनों पन्ना–मुक्ता व ताप्ती क्षेत्रों से अपने हिस्से की अतिरिक्त गैस को यू एस डॉलर पी एम टी जे वी ने पन्ना–मुक्ता क्षेत्र की (14,767,436 एम एम बी टी यू) अतिरिक्त गैस को निजी उपभोक्ताओं को यू एस 5.58 डॉलर प्रति एम एम बी टी यू की दर पर बेच दिया जो कि पी एस सी की अधिकतम दर यू एस 5.73 एम एम बी टी यू से कम था। इस कारण यू एस 2.22 मिलियन डॉलर की आमदनी का नुकसान हुआ और परिणामस्वरूप जी ओ आई को यू एस 0.52 मिलियन डॉलर आमदनी का पी पी और रॉयल्टी के रूप में नुकसान हुआ।

3.6.3.3.2. यद्यपि यह बताते हुये कि *यह मसला सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा करायी जा रही अवधि से पहले का है* और इसलिये लेखापरीक्षा के क्षेत्र से बाहर है, पी एम टी जे वी ने लेखापरीक्षा को (जनवरी 2014) एवं एम ओ पी एन जी को (जुलाई 2014) दिए अपने उत्तर में कहा कि *जी ओ आई ने पी एम टी जे वी को अतिरिक्त उत्पादित गैस सीधे उपभोक्ताओं को बेचने की अनुमति दे दी थी क्सीधे गैस को बेचने की अवधि (डी जी एम)द्व के दौरान तदनुसार, पी एस सी में दी गयी गैस दरें डी जी एम अवधि के दौरान लागू नहीं थी। डी जी एम अवधि के दौरान जी ए आई एल और दूसरे क्रेताओं द्वारा अदा की गयी गैस की कीमत बाजार–नियन्त्रित कीमत थी जो कि असम्बद्ध साझेदारों जैसे की जी एस पी सी के साथ आर्म्स लेन्थ आधार पर बनायी गयी थी। इस प्रकार डी जी एम अवधि के दौरान जी ओ आई को किसी भी आमदनी का नुकसान गेल और जी ओ आई द्वारा उनके अपने दायित्वों का पालन न करने के कारण हुआ न कि पी एम ओ जे वी के कारण।*[ष] *पी एम टी जे वी को अपनी गैस सीधा ही बिक्री करने के अपने दिशानिर्देश के सरकार द्वारा वापस लेने पर, गैस मूल्य 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी*

हो वापस पी एस सी मूल्य पर आ गए। अतिरिक्त गैस ताप्ती क्षेत्र से प्रधान रूप से आवंटित की गयी थी। कॉन्ट्रैक्ट वचनों को कायम रखने के लिए केवल बहुत अल्प अनुपात में पन्ना मुक्ता से आपूर्ति (ताकि बिक्री का 1 प्रतिशत) दिसम्बर 2006 तथा सितम्बर 2007 के दौरान हुई। अक्तूबर 2007 से, वर्तमान एग्रीमेंट के अनुसार पन्ना मुक्ता से अतिरिक्त गैस की आपूर्ति की गई जो उच्चतम कीमत देते थे यानि कि यू एस डॉलर 5.88/एम एम बी टी यू।

3.6.3.3.3. पी एम टी जे वी का उत्तर यथार्थपूर्ण नही है। डी जी एम अवधि के दौरान गेल और दूसरे क्रेताओं द्वारा अदा किया गया वाजार नियन्त्रित गैस मूल्य 10.8 एम एम एस सी एम डी गैस की बिक्री के लिये था। इसके अतिरिक्त पी एम टी जे वी ने 2006–08 की अवधि के दौरान दोनो पन्ना–मुक्ता एवं प्राप्ती अनुबन्ध क्षेत्रों मं लगभग 5.7 एम एम एस सी एम डी गैस उत्पादित की।पी एम टी जे वी के साझेदारों ने अपने हिस्से की अतिरिक्त गैस की मात्रा के लिये निजी ग्राहको से अलग–अलग दरों पर अनुबन्ध किये जिनमें अधिकांश सम्बन्धित पक्ष थे। बी जी ई पी आई एल और आर आई एल ने अपने हिस्से की गैस यू एस 5.58 डॉलर प्रति एम एम बी टी यू पर बेची। लेखापरीक्षा के अंतिम चरण (2006–08) के दौरान लेखापरीक्षा आपत्ति का उत्तर देते हुये, पी एम टी जे वी ने कहा कि 5.7 एम एम एस सी एम डी (16.5 में से 10.8 घटाकर फेज़–I में विद्यमान धरातल सुविधाओं से) यह अतिरिक्त गैस उत्पादन ताप्ती अनुबन्ध क्षेत्र की नई धरातल सुविधाओं के फेज–II के विकास से हुआ जिसे यू एस 5.58 डॉलर प्रति एम एम बी टी यू पर बेचा गया यानि की संशोधित की गयी ताप्ती की अधिकतम कीमत से यू एस 0.01 डॉलर प्रति एम एम बी टी यू से अधिक कीमत पर। इसलिए जी ओ आई को किसी भी रूप में नुकसान नहीं हुआ। यद्यपि लेखापरीक्षा ने अपने 2008–12 के लेखापरीक्षा के बाद की कार्यवाही में पी एम टी जे वी के उत्तर को सत्यापित किया जो एम ओ पी एन जी के द्वारा 2006–08 के लिए लेखापरीक्षा अपवाद को अधिसूचित किया था तथा विसंगति पाई गई, अतः पी एम टी जे वी का यह तर्क कि यह विषय लेखापरीक्षा क्षेत्र से बाहर का है, तर्कसंगत नहीं है। हालाँकि लेखापरीक्षा दल ने यह पाया कि पी एम टी जे वी ने भी पन्ना–मुक्ता क्षेत्र से (14,767,436 एम एम बी टी यू) अतिरिक्त गैस उत्पादित की जिसके लिये यू एस 5.73 डॉलर एम एम बी टी यू की गैस कीमत लागू थी। ताप्ती गैस कीमत पर पन्ना–मुक्ता गैस को बेचने के कारण जी ओ आई पी पी और रॉयल्टी का नुकसान हुआ जिसे जी ओ आई को लागू ब्याज के साथ अदा किया जाना चाहिये। पी एम टी जे वी का यह दावा की पन्ना मुक्ता से कम मात्रा में आपूर्ति की गई, मान्य नहीं था क्योंकि पन्ना मुक्ता और ताप्ती गैस के लिए भिन्न पी एस सी कीमतों का निर्धारण किया गया था और प्रमात्रा का कोई अर्थ नहीं है जैसा कि पी एम टी जे वी द्वारा विवादित किया गया।

3.6.3.3.4. एम ओ पी एन जी ने अपने उत्तर (जून 2014) में कहा कि *कॉन्ट्रैक्टर के इस प्रतिबंध के होते हुए भी कि लेखापरीक्षा प्रश्न कराई गई लेखापरीक्षा के काल के पूर्व से संबंध थे, सी ए जी विचार करे तो दो कम्पनियों में भारित वित्तीय प्रभाव को जो पी एस सी कीमत से कम पर अपने संबंधित घटको को गैस आपूर्ति किया गया था जो लेखापरीक्षा के पूर्व समय व लेखापरीक्षा के दौरान किया गया था। सी ए जी विचार करे तो क्रियाविधि के सुझाव दे सकता है कि जो एम ओ पी एन जी के लिए विद्यमान है।*

3.6.3.3.5. पी एम टी जे वी तथा इसके साझेदारों द्वारा पी एस सी कीमत से कम गैस बेचने के कारण जी.ओ.आई. पर वित्तीय बोझ (रॉयल्टी और जी.ओ.आई. पी पी) पड़ा जो 2005–08 के दौरान यू.

एस. डॉलर 107.66 मिलियन था *(परिशिष्ट 12)*। ओ एन जी सी के द्वारा पी एस सी कीमत से कम कीमत पर टी पी एल को गेस बेचने पर 2008–11 के दौरान जो वित्तीय प्रभाव पड़ा वह उपरोक्त पैरा 3.6.3.2.5 पर विस्तार से दर्शाया गया है जी.ओ.आई. जी ओ आई पी पी और रॉयल्टी के कम भुगतान जो पी एस सी प्रावधानों के अन्तर्गत आता हो पर उपयुक्त विचार कर सकता है।

3.6.3.4 *संघनित के परिवहन नुकसानों को निर्धारित न करना*

3.6.3.4.1. संघनित के निस्तारण पर मध्य एवं दक्षिण ताप्ती की पी एस सी चुप है यानि कि वह गैस है या कच्चा तेल। पी एम टी जे वी दिसम्बर 2005 तक संघनित को गैस मान रहा था। पी एम टी गैस का परिवहन एवं प्रसंस्करण ओ एन जी सी द्वारा क्रमशः उसके दक्षिण बेसिन–हजीरा ऑफशोर ट्रंक पाइपलाइन एवं ऑनशोर हज़ीरा सुविधाओं द्वारा किया गया था और जिसे ओ एन जी सी एवं पी एम टी जे वी के मध्य दिसम्बर 2005 के निपटान समझौते द्वारा नियन्त्रित किया गया था। निपटान समझौते में, ताप्ती हस्तांतरण स्थान से ओ एन जीसी के हज़ीरा संयत्र तक संघनित के परिवहन नुकसानों को संघनित विशेषज्ञ, जिसे ओ एन जी सी एवं पी एम टी जे वी द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त किया गया था, द्वारा निर्धारित किया जाना था। ऐसे नुकसानों के निर्धारण में देरी होने के कारण यह स्वीकार किया गया कि ताप्ती संघनित नुकसानों को अंतरिम रूप से 'शून्य' समझा जाये।

3.6.3.4.2. परिवहन के दौरान संघनित नुकसानों के गैर निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा हाइड्रोकार्बन पी एस सी की भारत के सी ए जी (संघ सरकार–सिविल) रिपोर्ट सं. 19 2011–12 के पैरा 6.3.2 में टिप्पणी की गयी। एम ओ पी एन जी ने उत्तर में कहा कि परिवहन नुकसानों के आकलन के लिये जे वी ने पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को चयनित कर लिया था। इसका हल निकालते हुए जे वी और ओ एन जी सी के इंस्टीटूयूट ऑफ ऑयल एण्ड गैस पैट्रोलियम टेक्नोलौजी (आई ओ जी पी टी) कार्य के क्षेत्र को दृढ़ बनाने के लिये अनुरूपक मॉडल पर कार्य कर रहे थे जिसके परिणाम एक तीसरे पक्ष के विशेषज्ञ द्वारा सत्यापित किए जाने थे। यह पाया गया कि संघनित परिवहन नुकसानों को 2005 में किए गए निपटान समझौते के 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक (फरवरी 2014) निर्धारित नहीं किया गया है। पी एम टी जे वी और आई ओ जी पी टी ओ एन जी सी ने केवल ताप्ती संघनित परिवहन नुकसानों के निर्धारण के कार्यक्षेत्र को निश्चित किया था और ताप्ती संघनित परिवहन नुकसानों के निर्धारण के लिये 'विशेषज्ञ' के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने वाले थे।

3.6.3.4.3. संघनित के परिवहन नुकासानों का निर्धारण करने में देरी ओ एन जी सी के लिये हानिकारक साबित हुई।

3.6.3.4.4. पी एम टी जे वी ने लेखापरीक्षा को (फरवरी 2014 में) एवं एम ओ पी एन जी को (जुलाई 2014 में) उत्तर दिया कि पी एम टी जे वी और ओ एन जी सी के मध्य हुए निपटान समझौते से सम्बन्धित मामले ताप्ती पी एस सी के परिशिष्ट सी की धारा 1.9 के अन्तर्गत की जाने वाली वर्तमान लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र से बाहर है। बिना इस पर किसी पक्षपात के, यह कहा जाता है कि *'पी एम टी जे वी ओर ओ एन जी सी एक स्वतन्त्र विशेषज्ञ को नियुक्त करने के लिये संयुक्त रूप से कार्य कर रहे*

है। ऐसा हो जाने पर, संघनित के परिवहन के अनुमानित नुकसान का प्रतिवेदन बनाने के लिये एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया जायेगा। स्वतन्त्र विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित किये गये परिवहन नुकसानों को 1 अप्रैल 2005 से लागू किया जायेगा ओर ओ एन जी सी द्वारा यदि अधिक धन राशि का भुगतान हुआ हो तो उसे वापस कर दिया जायेगा। (निपटान समझौते का खण्ड 4.4) इस प्रकार , ओ एन जी सी को कोई भी हानि नहीं होनी चाहिये।

3.6.3.4.5. एम ओ पी एन जी ने अपने उत्तर (जुलाई 2014) में कहा कि सी ए जी यह विचार करें कि *क्या बन्द पाइपलाइन सर्किट में संघनित के परिवहन के दौरान क्षति हो जाएगी। एम ओ पी एन जी ने आगे कहा कि जो भी परिवहन क्षति ओ एन जी सी को भुगतान की गयी वह पैट्रोलियम लाभ में कमी करने पर पी एस सी के लिए हानिकारक होगा इसलिए, यह विषय पी एस सी लेखापरीक्षा के तहत उत्तर हेतु उचित नहीं है। इसलिए यह उचित होगा कि जब ओ एन जी सी के लेखाओं का लेखापरीक्षा हो तब इस विषय को ओ एन जी सी के सम्मुख उठाया जाए।*

3.6.3.4.6. इस उत्तर को इस तथ्य के आधार पर देखना होगा कि 2011–12 की पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 19 के संदर्भ में संघनित के परिवहन हानि के अनिर्धारण का विस्तार से उल्लेख किया गया था। जबकि ओ एन जी सी संघनित के परिवहन और संस्करण में होने वाली हानि को आन्तरिक रूप से 6 *प्रतिशत* पर विचार कर रहा है, 2005 से पी एम टी जे वी ने घाटे की, 'शून्य' माना, जिसपर टिप्पणी की गई। यहाँ पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि पी एम टी क्षेत्र और बोली लगाने के दौरान ओ एन जी सी जी.ओ.आई. का ही एक भाग माना गया और ओ एन जी सी के हिस्से को मिलाकर कुल राजस्व को जी.ओ.आई. का शेयर माना जाए। इस संदर्भ में पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा वर्तमान लेखापरीक्षा में पी एस सी लेखापरीक्षा के तहत इस मामले को उपयुक्त तौर पर उठाया गया है।

3.6.3.4.7. हालाँकि सत्य यह है कि संघनित के परिवहन नुकसान को निपटान समझौते के 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी निर्धारित किया जाना है।

लेखापरीक्षा सिफारिश 13 पी एम टी जे वी संघनित के 8 वर्षों से लम्बित परिवहन नुकसानों के निर्धारण शीघ्रता करे जिससे की ओ एन जी सी के लाभ प्रभावित हुए हैं।

3.6.3.5 *वेलहेड मान की गलत गणना के कारण रॉयल्टी का कम भुगतान हुआ*

3.6.3.5.1. अगस्त 2007 की विज्ञप्ति के अनुसार वेलहेड मान की गणना के लिये पी एम टी जे वी द्वारा अपनायी गई पद्धति का पुनरीक्षण किया गया और प्राकृतिक गैस के वेलहेड मान की गणना में पाई गई कमियाँ नीचे विवेचित हैं।

3.6.3.6. *वेलहेड के बाद की गतिविधियों के लिये प्रयोग न की गयी सुविधाओं की गणना के कारण गैस की रॉयल्टी की गलत गणना*

3.6.3.6.1. पी एम टी जे वी ने गैस के ऑफशोर से लेकर ऑनशोर परिवहन के लिये दो गैस निर्यात पाइपलाइन डाली; एक 18 इंच टी पीपी (ताप्ती प्रौसेस प्लैटफॉर्म–अप्रैल 1997) से ओ एन जी सी के एस बी एच टी (दक्षिण बेंसिन–हज़ीरा ट्रंकलाइन) पाइपलाइन (अगस्त 2007) तक तथा एक 20 इंच टी सी पी पी (ताप्ती कम्प्रैशन प्रोसेस प्लैटफार्म–अगस्त 2007) से ओ एन जी सी की एस बी एच टी

पाइपलाइन (अगस्त 2007) तक।

3.6.3.6.2. लेखापरीक्षा दल ने यह पाया कि टी सी पी पी पर निर्जलीकरण तंत्र को नहीं माना जा रहा और सक्शन दबाव एवं उत्पादन दरों को बढ़ाने के लिये क्षेत्रीय गैस संवेश–प्रवाह को वाया टी सी पीपी सैप्रेटर टी पी पी को भेजा जा रहा है। इस प्रक्रिया में टी सी.पी पी बिक्री लाइन का जुलाई 2011 से प्रयोग नहीं किया जा रहा है और सम्पूर्ण गैस टी पी पी बिक्री लाइन से बह रही है। हालाँकि जे वी ने वैलहैड की एवं वैलहैड के बाद की सुविधाओं का अनुपात निकालने के लिये और वैलहैड मान की गणना के लिये टी सी पी पी निर्जलीकरण सुविधाओं और टी सी पी पी 20 इंच गैस बिक्री लाइन के मान पर विचार किया हैं। चूँकि टी सी पी पी निर्जलीकरण सुविधाओं और टी सी पी पी गैस बिक्री लाइनों (वैलहैड के बाद की सुविधाएँ) का वर्तमान में वैलहैड के बाद की गतिविधयों के लिये प्रयोग नहीं हो रहा है इसलिये परिचालन व्यय को वैलहैड गतिविधि और वैलहैड के बाद की गतिविधि के मध्य आवंटित करना इन सुविधाओं को वैलहैड के बाद की सुविधा मानते हुए, गलत था और इस कारण वैलहैड मान कम निकाला गया जिसके परिणामस्वरूप जी ओ आई को रॉयल्टी का कम भुगतान हुआ। इन सुविधाओं की अलग परिचालन लागत के अभाव में, लेखापरीक्षा दल जी ओ आई पर इसके प्रभाव को नहीं ज्ञात कर सका।

3.6.3.6.3. पी एम टी जे वी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में लेखापरीक्षा एवं पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मन्त्रालय (जुलाई 2014) का कहा कि *''यह जरूरी नहीं है कि उपकरण और सुविधाओं का किसी विशेष समय पर प्रयोग हो रहा है, जब कि उपकरण और सुविधाओं को पैट्रोलियम संचालनों के लिये ही बनाया गया है। टी सी पी पी निर्जलीकरण और टी सी पी पी 20 इंच गैस बिक्री लाइन को पैट्रोलियम संचालनों के लिये बनाया गया था और कुल परिचालन व्यय का अनुपात आकृष्ट उस अवधि में भी था जिसमें इनका प्रयोग नहीं किया गया। जिन उपकरणों और सुविधाओं के बारे में बात की गयी है उनका जून 2011 तक प्रयोग किया गया और उसके बाद से उन्हें स्टैन्डबाई पर रखा गया है और आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। पी एम टी जे वी सी.ए.जी. द्वारा सुझाए गए दृष्टिकोण को व्यवाहरिक नहीं समझता एव हम यह नहीं समझते कि पी एस सी में या वैसा भी ऐसा करने के लिए कोई आधार है।''*

3.6.3.6.4. उत्तर स्वीकार्य नहीं है। वैलहैड के बाद का मान पैट्रोलियम संचालनों के लिये वास्तव में प्रयोग की गयी सुविधाओं के मान को देखते हुए निकाला जाना चाहिए था न कि पैट्रोलियम संचालनों के लिये बनाई गई सुविधाओं के मान पर। यदि किसी सुविधा को किसी पैट्रोलियम संचालन में प्रयोग नहीं किया जाता है तो उसे वैलहैड और वैलहैड के बाद के व्यय के मध्य–ओपेक्स के आवंटन के लिये निकाले जाने वाले अनुपात से अलग कर देना चाहिए था। मार्च 2012 तक के दिखाए गए अभिलेखों में यह पाया गया कि टी सी पी पी निर्जलीकरण और टी सी पी पी 20 इंच बिक्री लाइनों का जुलाई 2011 से प्रयोग नहीं किया गया है। टी सी पी पी निर्जलीकरण को बाई–पास किया गया है और लाइन के कम सक्शन दबाव और उत्पादन दरों को बढ़ाने के लिये टी पी पी से ले जाया गया है। ताप्ती क्षेत्र में उत्पादन स्तर में लगातार गिरावट को देखते हुए इसकी सम्भावना कम है कि पी एम टी जे वी, टी सी पी पी निर्जलीकरण और टी सी पी पी पाइपलाइन का भविष्य में प्रयोग करेगा। वैलहैड लागत और वैलहैड के बाद की लागत के मध्य ओपेक्स के आवंटन से सम्बन्धित इसी प्रकार के एक मामले को 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 19 में दर्शाया गया था।

3.6.3.6.5. एम ओ पी एन जी ने उत्तर में, (जुलाई 2014) लेखापरीक्षा के इस मत से सहमत होते हुए कि *आरम्भ की गयी तथा प्रयोग की जा रही सुविधाओं पर केवल ओपेक्स के आवंटन एवं रॉयल्टी के भुगतान के उद्देश्य से विचार किया जाए, कहा कि मध्यस्थता में सरकार का मत है कि रायल्टी गैस के बिक्री मूल्य पर देय है जैसा कि देय मूल्य में वैलहैड रायल्टी भी शामिल है। अतः लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया मुद्दा प्रासंगिक नहीं हो सकता। सरकार के मामले में बिक्री मूल्य पर रायल्टी देय मूल्य प्रभावित न होने पर रायल्टी गणना के लिए सही आधार का प्रयोग किया जाएगा।*

3.6.3.7. *वैलहैड एवं पोस्ट वैलहैड गतिविधियों के मध्य ओपेक्स के आवंटन का अनुपात निकालने के लिये ओ एन जी सी की सुविधाओं को शामिल न करना*

3.6.3.7.1. वैलहैड गतिविधि एवं पोस्ट वैलहैड गतिविधि पर खर्च की गयी सुविधाओं की लागत का अनुपात निकालते समय पी एम टी जे वी ने पाँच वैलहैड प्लैटफार्म (जैसे कि *पी ए, पी बी, पी डी, पी ई एवं एम ए वैलहैड प्लैटफार्म*), जो ओ एन जी सी द्वारा स्थापित किए गए थे एवं पी एस सी के हस्ताक्षर के समय (दिसम्बर 1994 में) पी एम टी जे वी को हस्तान्तरित किए गए थे तथा वर्तमान में पी एम टी जे वी के द्वारा खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के निष्कर्षण और उत्पादन के लिये प्रयोग किये जा रहे थे, को वैलहैड गतिविधि के रूप में नहीं माना था। चूँकि पी एम टी जे वी सभी सुविधाओं जिसमें ओ एन जी सी के द्वारा हस्ताक्षरित पाँच वैलहैड प्लेटफार्म भी शामिल थे, का परिचालन व्यय का खर्च वहन कर रहा है, पोस्ट वैलहैड परिचालन व्यय के अनुपात को निकालने में ओ एन जी सी की सुविधाओं को शामिल न करना सही नहीं है और जिसके परिणामस्वरूप जी ओ आई को रॉयल्टी का कम भुगतान हुआ। इस सन्दर्भ में 2008–09 से 2011–12 तक की अवधि के लिए जी ओ आई को यू एस 0.47 मिलियन डॉलर पी पी का कम भुगतान निकाला गया।

3.6.3.7.2. पी एम टी जे वी ने, (जनवरी 2014 में) यह कहते हुए कि मामला प्रारम्भ से ही पी एम टी जी वी के लेखे से सम्बन्धित है और इसलिये इनमें लेखापरीक्षा अवधि के बाहर की अवधि शामिल है और इसलिये सी ए जी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र से बाहर है, लेखापरीक्षा (जनवरी 2014 में) एवं पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को (जुलाई 2014) उत्तर में कहा कि

- *पी एम टी जे वी के लेखा खातों में पाँच वैलहैड प्लैटफार्मों एवं पोस्ट वैलहैड अन्तः सम्बद्ध बहावलाइनों एवं पाइपलाइनों के सम्बन्ध में पी एस सी किए जाने से पहले ओ एन जी सी द्वारा खर्च की गई लागत के स्थानान्तरण पर पन्ना–मुक्ता पी एस सी द्वारा विचार नहीं किया गया। इस वजह से, पन्ना–मुक्ता पी एस सी के परिशिष्ट 'एफ' में स्पष्ट उल्लिखित है कि 'निम्न वर्णित सभी उपकरण जिसमें प्रस्थापित नहीं किए गए उपकरण भी शामिल है; ओ एन जी सी की लागत और जोखिम पर प्रदान किए जायेंगे।' दूसरे शब्दों में इन प्लेटफार्मों को पी एम टी जे वी को निःशुल्क स्थानान्तरित किया गया।*
- *चूँकि पी ए, पी बी, पी डी, पी ई और ए एम कूपशीर्ष तथा पश्च कूपशीर्ष अन्त सम्बन्धी फ्लोलाइनों और पाइपलाइनों की स्थापना से सम्बन्धित पूंजीगत व्यय पी एम टी जे वी द्वारा नही किया गया था, ना ही उनके लेखा पुस्तिकाओं में हस्तान्तरित किया गया था, ये लागत, डब्ल्यू एच पी की गणना के लिए, पूर्व कूपशीर्ष पूंजीगत व्यय तथा पश्च कूपशीर्ष व्यय के अनुपात की गणना करते समय नहीं लिये गये थे।''*

3.6.3.7.3. निम्नलिखित के कारण पी एम टी जे वी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- यद्यपि यह एक तथ्य है कि ये सुविधाऐ ओ एन जी सी द्वारा निः शुल्क उपलब्ध करायी गयी थी, पी एम टी जे वी इन सुविधाओं की देखभाल कर रही है और इस प्रकार प्रचालन व्यय की लागत में इन सुविधाओं की देखभाल पर लागत शामिल है।
- पूर्व कूप शीर्ष सुविधाओं तथा पोस्ट कूप शीर्ष सुविधाओं की गतिविधियों के बीच प्रचालन व्यय के आवंटन के लिए इन सुविधाओं पर पूंजीगत व्यय को विचार में न लेना, आवंटन को विपथित करेगा, क्योंकि प्रचालन व्यय की गणना में दोनों पूर्व कूप शीर्ष एवं पोस्ट कूप शीर्ष सम्पत्तियों पर पूंजीगत व्यय उचित रूप से नही दर्शाए गये थे तथा सरकारी पी पी को प्रभावित किया।

3.6.3.7.4. एम ओ पी एन जी ने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि सरकार के स्थिति की *बिना पूर्वधारणा के रायल्टी एग्रीमेंट क्षेत्र में बिक्री मूल्य पर भुगतान योग्य है यदि ओपैक्स के बंटवारे के लिए केपैक्स के आधार का प्रयोग किया जाता है, तब ओपैक्स के बंटवारे के लिए ओ एन जी सी द्वारा हस्तान्तरित सुविधाओं की कीमत पर विचार किया जाना चाहिए (जैसा सी ए जी ने बिन्दूवत किया है) इस प्रकार के डाटा के अभाव में, बटवारे का आधार ऐसे ओपैक्स के वास्तविक प्रभाव के आधार पर उपयुक्त रूप से किया जाना चाहिए रायल्टी के पुनः गणना का प्रस्तवित आधार उप घटना में प्रयोग किया जाना चाहिए जब बिक्री मूल्य पर राजशुल्क का भुगतान प्रभावी न किया जा सकता हो।*

3.6.3.8. *उन्नत किए भंडार पर नही आधारित पूंजीगत व्यय के परिशोधन के कारण रॉयल्टी का कम भुगतान*

3.6.3.8.1. अगस्त 2007 में पश्चात कूप शीर्ष लागतों की गणना के लिए मानको का निर्धारण लम्बित होने के कारण, पन्ना–मुक्ता और ताप्ती पी एस सी ने 1997 से अगस्त 2007 की अवधि के दौरान कूप शीर्ष पर कीमत की गणना हेतु पूंजी लागत को मान्यता दी। उत्पादन की ईकाई विधि के आधार पर इस अवधि के दौरान पूंजी लागत को परिशोधित किया गया। दिसम्बर 1994 में पी एस सी के हस्ताक्षरित होने के बाद, पूंजी लागत का परिशोधन उच्चीकृत भंडार के बजाय पी एस सी भंडार के आधार पर किया गया। इस पर हाइड्रोकार्वन उत्पादन सहभागिता अनुबंध पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अनुच्छेद 6.2.2 (सारणी 6.5) 2011–12 संघ सरकार (सिविल) सी ए जी प्रतिवदेनसंख्या 19, में टिप्पणी की गयी है।

3.6.3.8.2. एम ओ पी एन जी, लेखापरीक्षा विचार से सहमत हुआ (जुलाई 2011) तथा कहा कि *'अगस्त 2007 की अवधि के पूर्व के लेखापरीक्षा अपवादों के परिमाणन के सहाय जी.ओ.आई. प्रत्यक्ष कार्यवाही कर सकेगी। इस प्रकार के परिमाणन की अनुपस्थिति में, जे वी को त्रुटियाँ सुधारने तथा मध्यस्थता प्रक्रिया के विषयाधीन विभेदक रॉयल्टी का भुगतान करने की सलाह दी जायेगी।*

3.6.3.8.3. सी ए जी प्रतिवेदन के आधार पर, एम ओ पी एन जी ने इस लेखापरीक्षा टिप्पणी को पी एम टी जे वी को लेखापरीक्षा अपवाद के रूप में अधिसूचित (नवम्बर 2011) किया। लेखापरीक्षा अपवाद के उत्तर में, पी एम टी जे वी ने एम ओ पी एन जी/डी जी एच को कहा (मार्च 2012) कि *'डी जी एच/जी.ओ.आई. ने, 1997 से अगस्त 2007 की अवधि के लिए मासिक आधार पर कॉन्ट्रेक्टर द्वारा प्रस्तुत रॉयल्टी की गणना और/या क्रिया विधि पर कोई लेखापरीक्षा अपवाद नहीं उठाया। आपत्ति की। आगे, ताप्ती में उन्नत भंडार से गैस उत्पादन अगस्त 2007 से प्रारम्भ हुआ और अगस्त 2007 की*

अधि–सूचना के अनुपालन हेतु इस गैस उत्पादन पर अनुबंधकर्ता ने बिना पश्च कूप शीर्ष पूंजीगत व्यय को घटाए हुए रॉयल्टी का भुगतान किया। अतः पी एस सी के पक्षों द्वारा सहमत हुऐ पी एस सी की परिशिष्ट एच के अनुसार परिशोधन के आधार को निरन्तर प्रत्येक वर्ष प्रयोग किया गया।

3.6.3.8.4. हालाँकि, 22 दिसम्बर 1994 को पी एस सी उत्पादन रूप रेखा का पन्ना–मुक्ता एवं ताप्ती दोनों क्षेत्रों के लिए 1998 ये 2007 की अवधि तुलना के लिए पी एम टी जे वी द्वारा अनुमानित भंडार की दशा के पुनरीक्षण ने उद्घाटित किया कि पी एम टी जे वी ने दोनों क्षेत्रों से अन्तिम वसूली योग्य भंडार को भारी मात्रा में उच्चीकृत किया था और पी एस सी की उत्पादन रूप रेखा की तुलना में अधिक उत्पादन प्राप्त किया था। अतः रॉयल्टी के भुगतान की गणना के लिए उच्चीकृत भंडार के स्थान पर पी एस सी भंडार के प्रयोग के परिणामस्वरूप जी.ओ.आई. को कम रॉयल्टी का भुगतान हुआ।

3.6.3.8.5. किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के माहवार विवरण, भंडार स्थिति तथा रॉयल्टी गणना विवरणी की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा जी.ओ.आई. पी पी पर सटीक प्रभाव को संपादित नहीं कर सकी। पी एम टी जे वी को 1997 से अगस्त 2007 की अवधि के लिए रॉयल्टी की पुनःगणना उच्चीकृत भंडार को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए तथा रॉयल्टी के कम भुगतान को विलम्ब के कारण दण्ड ब्याज के साथ, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस 1959 के नियम 23 तथा तदोपरान्त पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियमों 2003 के तहत, जी.ओ.आई. को प्रेषित करना चाहिए।

3.6.3.8.6. पी एम टी जे वी ने लेखापरीक्षा को अपने उत्तर में (फरवरी 2014) एवं पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (जुलाई 2014) को कहा कि *लेखापरीक्षा मसले 1997 से अगस्त 2007 की अवधि से सम्बन्धित है और इसलिए सी ए जी के कार्यक्षेत्र से बाहर है।* हालाँकि जे वी ने स्पष्ट किया कि

(i) *'अगस्त 2007 से पूर्व, पी एम टी जे वी, पी एस सी के परिशिष्ट एच में निर्दिष्ट उत्पादन रूपरेखा का उपयोग पूंजीगंत व्यय का ऋण चुकाने की इकाई दर की गणना के लिए किया जा रहा था। यह क्रिया विधि जी.ओ.आई. को तब स्पष्ट की गई जब सर्वप्रथम, वित्तीय वर्ष 1997–98 में पन्ना–मुक्ता तथा ताप्ती में उत्पादन प्रारम्भ हुआ तथा बाद के अवसरों पर दुहराया गया।*

(ii) *न तो एम ओ पी एन जी ने और ना ही डी जी एच ने कभी यह सुझाव दिया कि पी एस सी के परिशिष्ट एच की उत्पादन रूपरेखा का रॉयल्टी गणना के लिए उपयोग गलत था। पी एम टी जे वी के विचार में, इन उद्देश्यों के लिए प्रयोग की गई क्रियाविधि उचित थी तथा यह अनुचित होगा कि अब 1997–98 से अगस्त 2007 की अवधि के लिए पी एम टी जे वी के लेखों पर पूर्व प्रभावी परिवर्तन थोपे जाये।*

(iii) *आगे किसी भी दशा में, कोई भी संशोधन मात्र उन्हीं भंडारों पर आधारित होंगे जो कि उस समय सिद्ध एवं विकसित किये गये हों जब व्यक्तिगत रॉयल्टी गणना प्रारंम्भिक तौर पर की गयी हो।*

3.6.3.8.7. निम्नलिखित के संदर्भ से उत्तर स्वीकार्य नहीं हैः

(i) यह मुद्दा पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवदेन में उठाया गया था और अनुवर्त्ती लेखापरीक्षा होने के कारण वर्तमान लेखापरीक्षा कार्य के कार्य क्षेत्र में है।

(ii) यह सत्यापित किया जा चुका है कि पन्ना–मुक्ता तथा ताप्ती दोनों क्षेत्रों के भंडार 1998 से ही समय–समय पर उच्चीकृत किये गये थे।

(iii) जैसा कि पन्ना–मुक्ता और ताप्ती क्षेत्रों के सिद्ध विकसित भंडार उच्चीकृत किये गये थे, पूंजीगत व्यय के ऋण चुकाने की गणना उच्चीकृत भंडार के आधार पर करनी थी ताकि पश्च कूप शीर्ष मूल्य प्राप्त की जा सके। उच्चीकृत भंडार को पूंजीगत व्यय के ऋण चुकाने को विचार में न लेने का परिणाम जी.ओ.आई. को कम रॉयल्टी का भुगतान हुआ।

3.6.3.8.8. लेखापरीक्षा के विचार से सहमत होते हुए एम ओ पी एन जी ने कहा कि (जुलाई 2014) *पी एम टी जे वी का स्पष्टीकरण तर्क विहीन है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्यस्थता कार्यवाही में सरकार ने निवेदन किया है कि रॉयल्टी गैस के बिक्री मूल्य पर बिना किसी कटौती के देय है। सी ए जी द्वारा सुझाव दिये गये सही आधार को रॉयल्टी की पुनर्गणना के लिए प्रयोग किया जाऐगा उस स्थिति में, यदि सरकार का वाद–प्रतिवेदन कि रॉयल्टी बिक्री मूल्य पर देय है, लागू नही होता।*

लेखापरीक्षा सिफारिश 14 जी.ओ.आई. को अदा की जाने वाली रॉयल्टी पर आते हुए पेट्रोलियम संचालनों (प्री वैल हैड और पोस्ट वैल हैट गतिविधियों) के लिये प्रयोग की गई सभी सुविधाओं को वेल हैड मूल्य की गणना करने के लिए विचार किया जा सकता है। पी.एम.टी.जे.वी. पूंजीगत व्यय के परिशोधन के लिये उन्नत भंडारों पर (1997 से अगस्त 2007) विचार करते हुये अतिरिक्त रॉयल्टी को संपादित करे और प्रेषित करे।

3.6.4 पैट्रोलियम प्रचालन

3.6.4.1 *दक्षिण–पश्चिम पन्ना के लिए परियोजना के परित्याग में परिनामित नए सिस्मिक डाटा का इन्तजार किए बिना ही योजना को तैयार करना*

3.6.4.1.1. पी.एस.सी. अनुच्छेद 7.3(बी) कहता है कि *'कॉंट्रेक्टर सभी पैट्रोलियम प्रचालनों को अनुबंध क्षेत्र के भीतर लगन से, त्वरित गति से, दक्षता पूर्वक और सुरक्षित एवं आदर्श कार्य योजना के अनुसार करेगा..... /'*

पी.एम.टी. जे.वी. ने सितम्बर 2007 में दक्षिण–पश्चिम पन्ना परियोजना के लिए विकास की योजना का एक प्रारूप एम.सी. को प्रस्तुत किया। एम.सी. ने (फरवरी 2008) एस.डब्ल्यू.पी. पी.ओ.डी. को अनुमोदित किया जिस मे प्लेटफार्म और पाइपलाईन की स्थापना शामिल था। पी.ओ.डी. में तेल के 3.7 एम.एम.बी. बी.एल. और गैस के 6.8 बी.सी.एफ का वसूली योग्य भण्डार दर्शाए गए थे। स्थापना के दौरान एस. डब्ल्यू. पी प्लेटफार्म के जैकेट समुद्र में गिर गए (फरवरी 2009) और जिन्हें (अप्रैल 2009) में पुनः प्राप्त किया गया और पीपावाव में रखा गया। इसी दौरान, सितम्बर 2009 में जे.वी. ने नए लिए गए डाटा के प्रकाश में एस.डब्ल्यू.पी के भण्डारों का पुनरीक्षण किया और डी.जी.एच को 1.76 एम.एम.बी.बी.एल की दर पर एस.डब्ल्यू.पी भण्डारों का डाउन वर्ड रिविजन प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2009)। भण्डारों के कम होने के साथही एस.डब्ल्यू.पी परियोजना ने नकारात्मक एन.पी.वी दिखाया। इसलिए एम.सी./डी.जी.एच ने निर्णय लिया (दिसम्बर 2009) कि जे.वी एस.डब्ल्यू.पी सुविधाओं को पी.एल. परियोजना को सुपुर्द करे जिसे सितंबर 2009 में अनुमोदित किया गया। एस.डब्ल्यू.पी पाईपलाईन पहले ही मार्च 2009 में रखी गई थी जिसका पी.एल. स्थान के लिए प्रयोग नहीं की जा सकी।

3.6.4.1.2. एस डब्ल्यू पी को 58.9 मी.पानी की गहराई में 6 स्लॉट वैल–हैड प्लैटफॉर्म के लिये

जबकि पी एल 55.5 मी पानी की गहराई में 9 स्लॉटों के लिये था। अतः, एस डब्ल्यू पी सुविधाओं को पी एल में पुनः अवस्थित करने से पहले संशोधन आवश्यक थे। जे वी ने एस डब्ल्यू पी सुविधाओं को अबूधाबी में खाड़ी पाइपिंग कम्पनी के फैब्रीकेशन यार्ड को संशोधन के लिये अवस्थित कर दिया। जनवरी 2011 में संशोधन के बाद सुविधाओं को पी एल स्थित जगह पर लगा दिया गया।

3.6.4.1.3. लेखापरीक्षा ने देखा कि

- एम सी ने एस डब्ल्यू पी पी ओ डी को फरवरी 2008 में अनुमोदित किया। उस स्तर पर यह ज्ञात था कि 'भण्डार की अनिश्चितता' थी। वास्तव में, 1996 में थ्री–डी डाटा शॉट के दोषों को पहले ही मान लिया गया था जिसके कारण एम सी ने सितम्बर 2007 में एक नये उच्च विभेदक थ्री डी भूकम्पीय डाटा के अधिग्रहण को अभिस्वीकृत किया। किन्तु उसी समय जे वी ने एस डब्ल्यू पी के लिये पी ओ डी प्रस्तुत किया जो कि 1996 के पुराने आँकड़ों पर आधारित था।
- परिणामस्वरूप, पी एम टी जे वी को एस डब्ल्यू पी परियोजना का परित्याग करना पड़ा और एस डब्ल्यू पी सुविधाओं को पी एल में स्थानातरित करने के पर यू एस 14.10[79] मिलियन का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- यद्यपि एस डब्ल्यू पी की सुविधाओं का पी एल परियोजना के लिए प्रयोग किया गया था, मार्च 2009 में बिछाई गई (यू एस डॉलर 20.80 मिलियन) की पाइपलाईन को निष्फल बना दिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्थापना के दौरान पाइपलाईन में असंसाधित समुद्री जल भर गया। एस डब्ल्यू पी प्लैटफार्म के परित्याग के साथ, एस डब्ल्यू पी पाइपलाईन में असंसाधित समुद्री जल बचा रह गया। परिणामस्वरूप, एस डब्ल्यू पी–पी पी ए पाइपलाईन में जंग लग गया और जे वी ने पाइपलाईन के संरक्षण के लिए यू एस डॉलर 0.86 मिलियन की लागत लगायी।

अतः डी जी एच/एम सी की विफलता तथा जे वी द्वारा नए थ्री–डी आंकड़ों के लिए इंतजार के परिणामस्वरूप परियोजना को छोड़ना पड़ा और परिणामस्वरूप अतिरिक्त 35.76 मिलियन (यू एस डॉलर 14.10 मिलियन+यू एस डॉलर 20.80 मिलियन+यू एस डॉलर 0.86 मिलियन) का खर्च हुआ।

3.6.4.1.4. पी एम टी जे वी ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा को (जनवरी 2014) और एम ओ पी एन जी को (जुलाई 2014) कहा कि *इस मुद्दे से बात उठती है कि क्या पी एम टी जे वी ने एस डब्ल्यू पी पी ओ डी परियोजना के संदर्भ में अनुच्छेद 7.3 के अधीन अपने दायित्वों के अनुरूप कार्य किया था और इसलिए लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र से बाहर था।* इस पर बिना किसी पूर्वधारणा के, पी एम टी जे वी ने प्रतिक्रिया दी जैसा कि निम्नलिखित हैः

पन्ना के संबंध में मूल 1995 3डी भूकंपीय आँकडा संपूर्ण पन्ना क्षेत्र के कई सालों के सफल विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में थी और यह एस.डब्ल्यू.पी. पर खोज करने में महत्व पूर्ण थे।

---

[79] *1. एस डब्ल्यू पी सुविधाओं के लिए भंडारण लागतेंः यू एस डॉलर 2.6 मिलियन 2. संशोधन और वापसी के लिए आबुधाबी तक परिवहन सुविधाऐंः यू एस डॉलर 6.10 मिलियन 3. एस डब्ल्यू पी से संबंधित रूपांतरण आदेशः यू एस डॉलर 1.7 मिलियन 4. संशोधनः यू एस डॉलर 3.7 मिलियन*

एस.डब्ल्यू.पी क्षेत्र नये 3डी भूकंपीय आँकडा अधिग्रहण में शामिल किया गया था जिसे 3 अप्रैल 2007 को आकस्मिक आधार पर और 12 जुलाई 2007 को फर्म के आधार पर विकास चरण के दौरान एस. डब्ल्यू.पी. पी.ओ.डी. में भरोसे को बढ़ाने के लिए अनुमोदित किया गया था।

इसमें मंशा थी कि कुँओं को सही प्रकार से लगाने के लिए नए उच्च विभेदन के भूकंपीय आँकड़ों (डाटा) का प्रयोग किया जाए, क्योंकि छिद्रिलता विभाजन में अनिश्चितता ने कुँओं के स्थापन पर प्रभाव डाला और हाईड्रोकार्बन पूल के भीतर अलवण स्पॉट (स्वीट स्पॉट) को लक्षित किया।

तदनंतर, एस डब्ल्यू पी परियोजना को परित्याग करने का परवर्ती निर्णय एस डब्ल्यू पी क्षेत्र के संशोधित भूवैज्ञानिक प्रतिपादन पर आधारित था। पी ओ डी के प्रस्तुतीकरण से, नव अभिग्रहित मुक्ता के भूकंपीय, भूवैज्ञानिक प्रतिरूप के पुनःप्रतिपादन और तरल (फ्लूइड) व्यवहार प्रतिरूप के प्रतिरूपण पर महत्वपूर्ण कार्य किया जा चुका है। विशेष कार्यों अथवा परियोजनाओं के लिए योजना और प्रस्तावों को सामान्यतः संशोधित किया जाता है जिसमें क्षेत्र के भूविज्ञान के बारे में ऑपरेटर का ज्ञान नए आँकड़े और समय के साथ अनुभव के आधार पर विकसित होता है, सम्मिलित है।

3.6.4.1.5. एम ओ पी एन जी ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2014) कि

प्रत्येक भंडार में बिना किसी अपवाद के अनिश्चितता थी और प्रत्येक भंडार में अपसाईड क्षमता के साथ–साथ डाउन साईड जोखिम की भी संभावना थी (एम सी ने कभी भी एस डब्ल्यू पी को अनिश्चित भंडार के रूप में वर्णित नहीं किया)।

तदनन्तर, एस डब्ल्यू पी परियोजना के ऑपरेटर ने मुक्ता के नए 3 डी भूकंपीय आँकड़ों का गहन अध्ययन किया जिसमें एस डब्ल्यू पी क्षेत्र भी सम्मिलित था। एस डब्ल्यू पन्ना के लिए 2006 का डेथ मॉडल, जिसका विकास योजना के लिए प्रयोग किया गया था, वह पन्ना मॉडल का भाग था जिसका प्रतिबाधा आँकडे से प्राप्त कूप नियंत्रण और गहराई प्रवृतियों पर निर्माण किया गया था। 2009 के भूकंपीय आँकड़ों के लिए वेग प्रतिरूपण को पन्ना–मुक्ता कूँओं और भकंपीय वेगों का गहराई के रूप में प्रयोग करके किया गया था। इस डेथ मॉडल में पी जे कूप मार्करों को भी शामिल किया गया था जो कि 2006 के प्रतिरूप (मॉडल) के लिए अनुपलब्ध थे।

यह ई एवं पी उद्योग में एक सार्वभौमिक प्रथा और तथ्य है कि कार्यान्वयन से पहले जी एवं जी मॉडल को हमेशा परिष्कृत ओर अद्यतनीकरण करे। इस मामले में, एस डब्ल्यू पी कूँओं के स्थापन को सुधारने और पहले के आँकड़ों पर आधारित एस डब्ल्यू पी के लिए निर्मित भू प्रतिरूप को भी हर प्रकार से जाँचने के लिए मुक्ता के नए भूकंपीय आँकड़ों का प्रयोग किया गया। मुक्ता के नए भूकंपीय आँकड़ों का प्रत्येक उपलब्ध जी एवं जी आँकड़े के प्रकाश मे कुल विश्लेषण ने एस डब्ल्यू पी क्षेत्र में भंडार शिला घनत्व में कमी दर्शायी क्योंकि रिज़र्वॉयर टॉप के संरचनात्मक स्तर के कम होने और ओ डब्ल्यू सी में करीब 07 मी तक का छिछलापन आ गया था।

लेखापरीक्षा ने यह मुद्दा उठाया था कि एस डब्ल्यू पी परियोजना नए 3 डी के उपलब्ध होने तक प्रतीक्षा कर सकता था। एस डब्ल्यू पी परियोजना ऑपरेटर के पास पहले से उपलब्ध 3 डी आँकड़े पर आधारित थी, जिसके आधार पर इस पी एस सी के अन्तर्गत अन्य सभी सफल परियोजनाऐं चलायी गई थी। नया 3 डी अनिवार्य रूप से मुक्ता क्षेत्र के विकास के लिए था और एस डब्ल्यू पी के नई और

बेहतर तकनीक के प्रयोग के बारे में भी ज्यादा जानकारी दे रहा था। लेखापरीक्षा का विचार केवल एक पश्च दृष्टि विश्लेषण था जो जब परियोजना शुरू हुई थी तो ऑपरेटर बोर्ड द्वारा नहीं किया जा सकता था। बाद की तिथि तक परियोजना को स्थगित करने के लिए लेखापरीक्षा का प्रस्ताव अनुपयुक्त है।

3.6.4.1.6. उत्तर को निम्नलिखित के प्रकाश में देखा जाना चाहिए:

- जे वी ने एस डब्ल्यू पी के संचयों (रिजर्वों) में अधोमुखी सुधार को सूचित करते हुए उजागर किया कि *"एस डब्ल्यू पी के भूकंपीय आँकड़े को 1996–97 में पन्ना क्षेत्र के साथ रिकार्ड किया गया था और 1997 में संसाधित किया गया था। आँकड़ों की गुणवत्ता (सिग्नल/ध्वनि अनुपात) भंडार स्तर पर बहुत ही घटिया थी, हालाँकि, इस आँकड़े का 2006 में एस डब्ल्यू पी–1 कुएँ की योजना बनाने तथा खोदने में प्रयोग किया गया था और एस डब्ल्यू पन्ना के लिए विकास योजना के लिए घनफल की गणना करने के लिए भी प्रयोग किया गया था। उसी को पहले रिकार्ड किये गए पन्ना भूकंपीय आँकड़ों (डाटा) की अपेक्षा सिग्नल/ध्वनि अनुपात में थोड़े से सुधार के साथ 2007 में दुबारा से संसाधित किया गया। नए 3 डी आँकड़ों (डाटा) के परिणामस्वरूप, भूकंपीय आँकड़े का समय प्रतिपादन परिवर्तित हो गया और नए आँकड़ों में उच्च कोटि की विश्वस्तता (कॉन्फीडेंस) थी।"*

- अप्रैल 2008 से सितंबर 2008 के दौरान पी जे कूएँ खोदे गए। इस डब्ल्यू पी प्लेटफार्म के लिए कॉन्ट्रेक्ट सितंबर 2008 में प्रदान किए गए और संसाधित आँकड़े नवम्बर 2008 में उपलब्ध हुए। एस डब्ल्यू पी प्लेटफार्म का प्रतिष्ठापन को जनवरी 2009 में किया गया।

- यद्यपि यह सच है कि योजना/परियोजनाओं में समय के साथ आए परिवर्तनों या क्षेत्र के मापदंडों/भंडार की विशिष्टता को बेहतर ढंग से समझने के लिए संशोधन किये गए, वास्तविकता यह है की आरंम्भ से ही एस डब्ल्यू पी क्षेत्र की छिद्रता में अनिश्चितता थी। पी एम टी एस डब्ल्यू पी के लिए पी ओ डी को अंतिम रूप दे रहा था और उसी समय पर नए 3 डी आँकड़े के अभिग्रहण के लिए प्रस्ताव को भी पक्का कर रहा था। चूँकि पी एम टी जे वी एस डब्ल्यू पी क्षेत्र में अनिश्चितताओं से अवगत था उसे 3 डी आँकड़े के परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। चूँकि पी ओ डी एम सी द्वारा अनुमोदित था, यह मान लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु को एम सी, फरवरी 2008 में जानता था। पी एम टी जे वी ने 'इन प्लेस वाल्यूम को बेहतर रूप से प्राप्त करने और भविष्य के चरणबद्ध विकास के लिए अनिश्चितता को कम करने तथा विकास कूओं के स्थापन के लिए 3 डी अधिग्रहण कार्य को दृढ़ (फर्म) वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया। बल्कि, जैसा पी एम टी द्वारा माना गया, *''पन्ना–मुक्ता के लिए 3डी आँकड़े लेने का मुख्य कारण था एस डब्ल्यू पी क्षेत्र का भरता विकास।'*

- पी एस सी का अनुच्छेद 7.3 (बी) कहता है कि *"कॉंट्रैक्टर अनुबंध क्षेत्र के भीतर सभी पैट्रोलियम संचालनों को कर्मठ रूप से, अविलंब, निपुणता से और सुरक्षित तथा कारीगरी से संचालित करे।"* चूँकि जे वी वर्तमान 3 डी आँकड़ों (डाटा) में कमियों से अवगत था और विशेष रूप से एस डब्ल्यू पी क्षेत्र की बेहतर तस्वीर पाने के लिए पन्ना क्षेत्र को सम्मिलित करने का निर्णय लिया, उसे सुविधाओं को प्रस्तुत करने से पहले 3 डी आँकडों (डाटा) के परिणामों के लिए,

प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। यद्यपि पी के और एस डब्ल्यू पी प्लैटफार्म के लिए अनुबंध सितंबर 2008 में प्रदान किये गये थे, संसाधित 3 डी आँकड़े (डाटा) नवम्बर 2008 में उपलब्ध हुए।

3.6.4.2 *पन्ना क्षेत्र में वाटर इंजेक्शन परियोजना में देरी के कारण घटता उत्पादन*

3.6.4.2.1. एक क्षेत्र से तेल उत्पादन तीन चरणों से होकर गुजरता है : प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय। प्राथमिक तेल प्राप्ति केवल हाइड्रोकार्बन तक सीमित है, जोकि सतह पर स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। समय बीतने पर और तेल रिज़र्व के लगातार उत्पादन के कारण, प्राकृतिक भंडार का दबाव घटता जाता है और माध्यमिक प्राप्ति तरीकों जैसे पानी और गैस को, तेल छोड़ने के लिये इंजेक्ट किया जाता है जिससे उसे सतह पर लाया जा सके।

3.6.4.2.2. पन्ना क्षेत्र का रिज़र्वायर दबाव जोकि शुरू में (1986) 2250 पी एस आई ए[80] था, धीरे–धीरे से कम होना शुरू हो गया। परिणामस्वरूप, पन्ना क्षेत्र से उत्पादन गिरना शुरू हो गया। गिरने की दर जो 2003 में 10–12 प्रतिशत थी, 2007–08 में बढ़कर 12–15 प्रतिशत और 2010–11 में 18–20 प्रतिशत हो गई।

3.6.4.2.3. डी जी एच के साथ–साथ जे वी दोनों ही 2003 में घटते उत्पादन से अवगत थे। यद्यपि जे वी ने उस समय पन्ना में वाटर इंजेक्शन के लिये सम्भाव्यता अध्ययन किया, प्रचलित कम तेल कीमतों (यू एस डॉलर 18–12 / बी बी एल) के कारण परियोजना अलाभकारी बन गई थी। कच्चे तेल की कीमत बाद में औसत यू एस डॉलर 27.69 प्रति बैरल (2003) से बढ़कर यू एस डॉलर 50.00 प्रति बैरल (2005) और यू एस डॉलर 64.2 प्रति बैरल (2007) हो गई। हालाँकि जे वी ने, वॉटर इंजेक्शन[81] के लिए सम्भाव्यता की समीक्षा नहीं की। 2007 तक, रिज़र्वायर दबाव लगभग 2000 पी एस आई ए तक घट गया। डी जी एच के निर्देश (फरवरी 2007) पर, जे वी ने 2007–08 और 2008–09 में अध्ययन किया और वॉटर इंजेक्शन को तकनीकी रूप से सम्भव पाया। यद्यपि, शुरू होने की तिथि से 4–5 वर्षों बाद ही प्रतिफलों के मिलने की संभावना थी। चूँकि पी एस सी की अवधि 2019 में खत्म होनी थी, जे वी ने पी एस सी की अवधि को बढ़ाने की इच्छा की। 2008–09 में, डी जी एच भी जे वी द्वारा पी एस सी की अवधि के निवेदन पर सहमत हो गया और 20 जनवरी 2009 को हुई एम सी बैठक में, डी जी एच ने जे वी को पी एस सी बढ़ाने के निवेदन के साथ वॉटर इंजेक्शन प्रस्ताव की रूप रेखा प्रस्तुत करने को कहा। जे वी ने, फरवरी 2009 में, डी जी एच को सूचित किया कि उसने वॉटर इंजेक्शन की संभाव्यता पर एक विस्तृत रूप रेखा तैयार की है, परन्तु डी जी एच को संभाव्यता रिपोर्ट केवल 1 सितम्बर 2011 में प्रस्तुत की। उसने पी एस सी अवधि बढ़ाने के लिये एक निवेदन भी किया।

3.6.4.2.4. डी जी एच को अभी संभाव्यता रिपोर्ट अनुमोदित करनी है। हालाँकि डी जी एच ने जे वी को यह कहते हुये लिखा (मार्च 2012) कि *'दबाव रख–रखाव को जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिये था, जब यह पता चला था कि रिज़र्वायर दबाव संतृप्ति सीमा से नीचे जा रहा है' और ऑपरेटरों 'को 2000 के शुरू में ही डब्ल्यू आई का प्रस्ताव रखना चाहिये था, यदि वे अच्छे संचालनात्मक मानकों और रिज़र्वायर प्रबंधन के बारे में गंभीर थे।'* आज की तिथि में पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन का अनुमोदन और डी जी एच द्वारा पी एस सी की अवधि बढ़ाने पर निर्णय लंबित होने के कारण आज तक डब्ल्यू

---

[80] पाउंडस प्रति स्क्वेर इंच एब्सोल्यूट

[81] वॉटर इंजेक्शन में शामिल है इंजेक्शन कुंओं को खोदने और तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए रिज़वार्यर में जल भरना। भरा हुआ जल रिज़वार्यर के भीतर कम दबाव को बढ़ाकर तेल को स्थान पर लाने में सहायक है।

आई योजना में आगे कोई प्रगति नहीं हुई।

3.6.4.2.5. लेखापरीक्षा ने पाया कि पी एम टी ने जे वी और डी जी एच ने यह स्वीकार कर लिया कि देरी के कारण रिज़र्वों का अनुत्क्रमणीय नुकसान होगा। देरी के प्रत्येक वर्ष पर रिज़र्वों के 4–5 एम एम बी बी एल के नुकसान होने की संभावना थी। जे वी के डी जी एच को लिखे अप्रैल 2012 के पत्र के अनुसार 'प्रेशर ड्रॉप और वर्तमान कुँओं से रिसाव के कारण किसी प्रकार का विलंब उसकी समग्र तकनीकी तथ आर्थिक व्यवहार्यता पर घातीय एवं हानिकारक प्रभाव डाल सकता है।'

3.6.4.2.6. हालाँकि, प्रस्तुतीकरण और पत्राचार में दीर्घकालिक देरी पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। देरी के प्रत्येक वर्ष के साथ रिक्तत्ता बढ़ेगी जिसके कारण ज्यादा सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा लागत के कारण परियोजना की व्यवहार्यता पर प्रभाव पड़ता। यद्यपि डी जी एच उत्पादन की वसूली को बढ़ाने के लिए एक तकनीकी आवश्यकता के रूप में डब्ल्यू आई को कार्यान्वित करने की आवश्यकता से अवगत था, परन्तु वह मुख्य रूप से पी एस सी अवधि बढ़ाने पर निर्णय न लेने के कारण इसे शीघ्र निबटाने में असफल रहा। इस दौरान रिज़र्वायर की स्थिति बिगड़ने लगी।

3.6.4.2.7. पी एम टी जे वी ने (फरवरी 2014) और एम ओ पी एन जी ने (जुलाई 2014) में उत्तर में कहा कि

(i) *"पी एम टी जे वी ने पन्ना से आशातीत उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक तरीका अपनाया, जैसे विकास कुँओं की ड्रिलींग और सक्रिय रिज़र्वायर प्रबंधन जैसाकि संचालन समिति के दिनाँक 7 अप्रैल 2003 के रिजॉल्यूशन में कहा गया था कि "पन्ना में इनफिल ड्रिलिंग के साथ क्षेत्र गैस दर में धीरे–धीरे ढील देना एक मजबूत रिज़र्वायर प्रबंधन और पन्ना बी जोन जैसे एक कोनिंग डोमिनेटिंग रिजर्वायर के लिए फील्ड विकास रणनीति है, तकनीकी और आर्थिक दोनों बिन्दुओं से।*

(ii) *जब तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थी तो पी एम टी जे वी ने वॉटर इंजेक्शन की अपेक्षा इनफिल ड्रिलिंग को अपनाने के निर्णय पर दुबारा विचार नहीं किया, क्योंकि इनफिल ड्रिलिंग और ई पी ओ डी कार्य एक मजबूत रिज़र्वायर प्रबंधन और क्षेत्र विकास रणनीति के रूप में सिद्ध हो चुके थे।*

(iii) *वॉटर इंजेक्शन के तकनीकी जोखिमों को जब पी एम टी जे वी और जी ओ आई दोनों के लिए उसकी अपेक्षाकृत कम आर्थिक मूल्य से तुलना की गई तो पी एम टी जे वी को इस काम के निष्पादन से निर्धारित रोक दिया। पी एम टी जे वी ने जल इंजेक्शन को एक अत्यल्प परियोजना के रूप में निर्धारित किया, क्योंकि उत्पादन में संभावित वृद्धि संबंधी बढ़त यू एस डॉलर 2.2 बिलियन की उच्च अग्रिम पूंजीगत लागत, जो वॉटर इंजेक्शन के लिये आवश्यक थी, उचित नहीं लगी और परियोजना वर्तमान पी एस सी अवधि के दौरान आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थी और यदि बढ़त दे दी जाती तो भी वह अत्यल्प आर्थिक रूप से व्यवहार्य होती।*

(iv) *एक अन्वेषक अध्ययन में पाया गया कि शीघ्र इंजेक्टिड पानी का निकलना अनुमानित हाइड्रोकार्बन की क्षतिपूर्ति को कम करता है। पिछले वर्षों में वाटर इंजेक्शन योजना के क्रियान्वन से हाइड्रोकार्बन का विषम फैलाव और पन्ना रिज़रवेयर से कम प्राप्ति सामने आई,*

जबकि तेल की एक पतली परत जो गैस क्षेत्र और जलभर के बीच होती है ऐसी किसी भी वाटर इंजेक्शन योजना में पानी के लिए बहुत संवेदनशील होती है।

(v) *पी एम टी जे वी ने परिश्रमपूर्वक उचित रूप से और कार्य कुशलता से पी एस सी शर्तों और अच्छी अन्तर्राष्ट्रीय कार्य प्रणालियों और मानकों के अनुसार पन्ना मुक्ता और ताप्ती पी एस सी करार क्षेत्रों में अंतर्निहित तेल और गैस क्षेत्रों का विकास किया।''*

3.6.4.2.8. एम ओ पी एन जी ने (जूलाई 2014) में अपने उत्तर में कहा कि *उत्पादन की गिरती क्षमता का स्पष्ट ज्ञात उन जगहो पे जहॉ भूगर्भिक धटनाओं का कोई तकनीकी उपाय नहीं होता, लागत कारक वहॉ महत्वपूर्ण विषय है।*

3.6.4.2.9. डी जी एच ने (जनवरी, मार्च और अप्रैल 2012) निम्नलिखित मुद्दे उठाए a) *प्रस्ताव में* B-*जोन में वाटॅर इंजेक्षन योजना शमिल की* A-*जोन की नहीं*; b) *जे वी की कई तकनीकी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला जनवरी 2013 में हुई एम सी एम में, जे वी ने सूचित किया की वे वाटॅर इंजेक्शन परियोजना की व्यवहार्यता का पन्ना जलाशय में हाल ही में हुए भूगर्भिक आश्चर्यों वाटॅर डंपिंग के दो दिनों पश्चात अनुरेखक का 2–3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुओं में मिलना को ध्यान में रखते हुए पुनः मूल्यांकन करेंगें।*

पी एम टी जे वी को अभी तक वाटॅर इंजेक्षन की पूर्व व्यवहयिता रिपोर्ट वर्तमान भूगर्भिक अवलोकन को शमिल कर जोन A *एवं* B *के लिए संषोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है एवं तकनीकी एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजना का पता लगाना है जे वी के समक्ष बरामदगी को बढ़ाने के लिए तकनीकी एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजना बनाने का मुद्दा है। वाटर इंजेकटिड परियोजना से रिज़वार्यर दबाव की गिरावट की रोकधाम के लिए एक तकनीकी रूप से अनुकूल परिणामों की उम्मीद है।*

3.6.4.2.10. उत्तर को निम्नलिखित की सहायता से विचार करने की आवश्यकता है :

- इनफिल कुँओं की वॉटर इंजेक्शन के एक विकल्प के रूप में ड्रिलिंग कारगर प्रतीत नहीं हुई, क्योंकि रिज़र्वायर का दबाव लगातार गिरता रहा और उत्पादन में कमी 2003 में 10–12 प्रतिशत से 2007–08 में 12–15 प्रतिशत और 2010–11 में 18–20 प्रतिशत बढ़ती रही। जे वी के अनुसार केवल 2011 में दबाव में कमी के कारण उत्पादन में गिरावट तेल के 2 एम एम बी बी एल एस के लगभग आँकी गई थी। वॉटर कट में बढ़ोत्तरी के कारण पन्ना में 40 प्रतिशत कुएं बंद कर दिये गये।

- डी जी एच ने समय–समय पर (जनवरी 2009, मार्च 2010, नवम्बर 2010 एवं अगस्त 2011) पी एम टी जे वी को पन्ना क्षेत्र में जल्दी से जल्दी रिज़र्वायर हैल्थ को सुलझाने और दबाव में कमी पर नियंत्रण करने के लिये डब्ल्यू आई को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया। डी जी एच ने मार्च 2010 में मुख्य तौर पर कहा कि *"जब तक डब्ल्यू आई शुरू नहीं होते तब तक किसी ने भी इनफिल कुँओं पर विचार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि लेखापरीक्षा ने देखा कि इन पत्राचारों के बावजूद, डी जी एच ने 2011–12 में भी इनफिल कुँओं का अनुमोदन जारी रखा।''*

- मार्च 2010 एवं अक्तूबर 2011 में हुई विभिन्न समितिओं। कार्यशालाओं में जे वी ने स्वीकार किया कि *पिछलें कुछ सालों में हुए अध्धयानों ने क्षेत्र की बेहतर समझ प्रदान की जिसने डब्ल्यू आई परियोजना को प्रभावी ढंग से कार्यन्नित करने में सहायता की और यह की डब्ल्यू आई*

परियोजन कार्य हेतू उपयुक्त एवं उचित है। डी जी एच ने अवलोकित किया कि '' डब्ल्यू आई की तकनीकी अध्यन ऐसी ठोस परिपक्वता पर पहुँच चुकी थी की वो कार्यन्वित हो सके मानक परिष्कृरण तथा योजना अनुकुलन डब्ल्यू आई प्ररियोजना कार्यन्वयन के समानांतर चालू रहेगा''। डी जी एच ने दृढ़तापूर्णक डब्ल्यू आई को आंरम्भ सभी क्रियाओं को 2014 के प्रांरम्भ में व्यवस्थित करने का सुझाव दिया।

- तकनीकी परियोजना के अलावा बी जोन के वाटॅर इजेक्षन परियोजना के लिए वृद्धिशील भंडारों एवं सुविधाओं की लागत को भी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों ने समीक्षित तथा पुष्टीकृत किया नामतः अक्तूबर– नवंम्बर 2010 में वोर्ली पार्सन तथा भंडार का ज्ञान।
- सितम्बर 2011 में प्रेषित पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट में भी *''परियोजना जोखिम के संदर्भ में भंडार विविधताओं अशिष्ट तेल संतृप्ति, तेल का गैस कैप की तरफ से स्थनोतरण, अन्तर्वेषिता भडारं के साथ जल अन्तर्वेषन संगतता इत्यादि हमेशा ही प्रकृति के भाग की तरह मौजूद रहेगी तथा नियमित रूप से चालू भंडार की विशेषताओं के एक भाग की तरह माना जाएगा। यह भी बताया गया* कि ज्यादातर जोखिमों विश्लेषण में मानक व्यासमापन को प्रकिया के भाग की तरह नियंत्रित एवं निमित्र कर लिया गया है।
- पी एम टी जे वी ने पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट को प्रेषण के दौरान यह व्यक्त किया कि वाटॅर इंजेक्षन परियोजना के यथा परिकल्पित शीध्र कार्यन्वयन से छः *प्रतिशत* वृद्धिषीज लाभ मिल सकता है (71.6 मिलियन स्टाक बैरल तेल एवं 94.9 बी सी एफ गैस 2038 तक का आर्थिक जीवनकाल)
- रिपोर्ट की समीक्षा तथा टिप्णीयों को जे वी को आंशिक रूप में सूचित करने के लिए डी जी एच ने छः माह (अक्टूबर 2011 से मार्च 2012) लिए जबकि उसने सक्रिय रूप से तकनीकी समिति कार्यशालाओं में भाग लिया था तथा जे वी को किए जाने वाले अध्धयनों पर भी निर्देश दिए थे।
- इस बात को ध्यान में रखते हुए की वाटॅर इंजेक्शन अध्ययन अभी भी अनुमोदित होनी है तथा पी एस सी के काल पर अभी भी निर्णय होना बाकी है तथा विलम्ब का प्रतिकूल प्रभाव पुनः वरामदगी है की डब्ल्यू आई परियोजना निकट भविष्य में कार्यनिवेत होगी।

3.6.4.2.11. 2008–09 से 2011–12 तक उत्पादन मे हानि की सीमा 77282848 बी बी एल एस तेल थी जिसका मूल्य 661.86 मिलियन यूस डॉलर था।

3.6.5 पी एस सी के प्रबन्धनों का गैर अनुपालन

3.6.5.1 *कार्य योजना और बजट के प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन में देरी*

3.6.5.1.1. पन्ना मुक्ता और मध्य एवं दक्षिण ताप्ती पी.एस.सी. के अनुच्छेद 4.2 के अनुसार, कॉन्ट्रेक्टर को प्रत्येक वित्त वर्ष के शुरू होने के 90 दिन पहले प्रत्येक वित्त वर्ष के लिये कार्य योजना एवं बजट को प्रस्तुत करना आवश्यक है। कॉन्ट्रेक्टर को ओ.सी. के जरिये डब्ल्यू पी. एंड बी, एम.सी. को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसे वार्षिक डब्ल्यू पी. एंड बी को एम.सी. द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। आगे, पी.एस.सी. के अनुच्छेद 4.3 में कहा गया है कि कॉन्ट्रेक्टर को

अनुमोदित डब्ल्यू पी एंड बी के विवरणों को तब कि वर्तमान परिस्थितियों के प्रकाश में संशोधन प्रस्तावित करना चाहिये और ओ.सी के माध्यम से एम.सी. को डब्ल्यू.पी. एंड बी में संशोधन या सुधार को प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए अनुबंध क्षेत्र में कोई भी पेट्रोलियम परिचालन करने के लिये एम.सी. का अनुमोदन पूर्वपेक्ष्य है।

3.6.5.1.2. डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. की प्रस्तुत करने की समय सीमा स्पष्ट रूप से तय की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एम.सी. की समीक्षा/डब्ल्यू.पी एण्ड बी. का अनुमोदन अगले वित्त वर्ष के शुरू होने से पहले पूर्ण हो जायें और कार्य का कार्यान्वयन और खर्च पारित डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. के अनुसार किया जा सके। यह पैट्रोलियम क्रियाकलापों और जरूरी संसाधनों को प्रगतिशील करने में भी सहायता करता है।

3.6.5.1.3. डब्ल्यू पी एंड बी के अनुमोदन तथा एम सी आर के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत वित्तिय वर्षो 2008–09 से 2011–12 तक के अभिलेखो की जाँच में पाया गया कि एम सी को डब्ल्यू पी एंड बी अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने में 13 से 89 दिनो (सिवाय वर्ष 2008–09) की देरी थी।

3.6.5.1.4. वर्ष 2009–10 से 2011–12 में डब्ल्यू पी एंड बी के देरी से प्रस्तुत करने से सहमति जताते हुए पी एम टी जे पी ने लेखापरीक्षा को अपने जवाब (फरवरी 2014) तथा एम ओ पी एन जी को (जुलाई 2014) में बताया कि *वो डब्ल्यू पी बी की प्रस्तुति तथा अनुमोदन को समय पर करने के प्रयास लगातार जारी रखेगा। भारत के अन्य पी एस सी में भी एम सी मिटिंगों के अनुसूचित करने में भी मुश्किले पाई गई है जिससे एम ओ पी एन जी को एम सी मीटिंगो को कराने के लिए परिपत्र जारी करना पड़ा है। अतः एम सी मीटिंगो का समय पर अनुमोदन तथा करवाना कुछ ऐसा मुद्दा है जिसका सामना उद्योग जगत पर सामान्य तौर पर किया जाता है ना कि यह पी एम टी जे वी से संबंधित है।*

3.6.5.1.5. एम ओ पी एन जी ने अपने जवाब (जुलाई 2014) में कहा कि *सी ए जी की यह टिप्पणी कि वार्षिक कार्यक्रम बजट पी एम टी जे वी द्वारा समय पर प्रस्तुत किया जाए तथा एम सी का अनुमोदन वर्ष के आरंभ होने से पूर्व होना चाहिए, को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।*

3.6.5.1.6. एम ओ पी एन जी यह सुनिश्चित करे कि एम सी मीटिंगो को करवाने तथा डब्ल्यू पी एंड बी को समय पर प्रस्तुत करने के पी एस सी प्रावधानों का दृढता से पालन हो। (लेखा परीक्षा अनुशंसा का अवलोकन करें)

3.6.6 एम.ओ.पी.एन.जी./डी.जी.एच. से संबंधित लेखापरीक्षा जाँच परिणाम

3.6.6.1 *सी.ओ.एस.ए. को हस्ताक्षर न करना*

3.6.6.1.1. पन्ना मुक्ता पी.एस.सी. के अनुच्छेद 18.1 के अनुसार, कॉन्ट्रेक्टर के प्रत्येक संघटक को प्रत्येक क्षेत्र से कच्चे तेल की कॉन्ट्रेक्टर की सभी हकदारी को जी.ओ.आई. या इसके नामित को ऑफर करना आवश्यक होगा, जिससे राष्ट्रीय माँग को पूरा करने में सहायता मिल सके। जी.ओ.आई. ने पन्ना मुक्ता क्षेत्र से उत्पादित संपूर्ण कच्चे तेल को खरीदने के लिये आई.ओ.सी.एल. को अपने नामित के रूप में नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त, पी.एस.सी. का अनुच्छेद 19.4.4 में, पन्ना मुक्ता जे.वी. और आई.ओ. सी.एल. (जी.ओ.आई. नामांकित) में अन्तर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की बिक्री के करारों की इसी प्रकृति की सामान्यता रखी हुई शर्तों के अन्तर्गत सी.ओ.एस.ए. के प्रतिपादन पर विचार किया गया है। यद्यपि कुछ मुद्दों जैसे कि (i) डिलीवरी पॉईंट (ii) भंडारण शुल्क (iii) डैड फ्राइट (iv) यात्रा नुकसान (v) यात्रा लागत (vi) टर्मिनल शूल्क (vii) माप कन्वर्ज़न टेबल (viii) डॉलर रुपया विनिमय दर (ix) मानसून में

विलंब–समय और (x) उस पर देर से किये गये भुगतान और ब्याज आदि पर समाधान न होने के कारण सी.ओ.एस.ए. पर हस्ताक्षर नहीं हो सका।

3.6.6.1.2. पन्ना मुक्ता पी.एस.सी. के लिए सी.ओ.एस.ए. पर हस्ताक्षर न होने पर सी. एंड ए.जी. ने अपनी पिछली 1996, 2005 और 2011 की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में टिप्पणी की है और एम.ओ.पी.एन.जी. ने प्रत्येक अवसर पर *सी. एंड ए.जी. को सी.ओ.एस.ए के शीघ्र पूरा होने का आश्वासन दिया था।* परन्तु, जे. वी. और आई.ओ.सी.एल. के बीच सी ओ.एस.ए. पर अभी तक (नवम्बर 2013) हस्ताक्षर नहीं हुये। इस प्रकार, डिलीवरी पाईंट और संबंधित मुद्दों पर समाधान न निकलने के कारण सी.ओ.एस.ए, पी.एस.सी. के हस्ताक्षर करने के 19 वर्ष बीत जाने पर भी हस्ताक्षरित नहीं हुए। सी.ओ.एस.ए के हस्ताक्षर न होने के कारण–आई.एन.आर. 724.18 करोड़ के भंडारण लागत और आई.एन.आर. 63.56 करोड़ की यात्रा लागत का समाधान नहीं हो पाया और पी.एम.टी. जे.वी. ने इसे जी.ओ.आई/जी.ओ.आई नामित यानि आई.ओ.सी.एल. से 31.03.2012 को प्राप्त करने योग्य दिखाया। इसके अतिरिक्त 1995 से 2007 के दौरान, आई ओ.सी. एल. ने आई एन आर 29.83 करोड़ की डेड फ्राइट और वो यू.एस. 37.03 मिलियन डॉलर की समुद्री यात्रा हानियों की कटौती की जोकि विवादस्पद है।

3.6.6.1.3. एम ओ पी एन जी (जुलाई ,2014) को पी एम टी जे वी ने अपने उत्तर में कहा *कि जे वी पन्ना–मुक्ता से उत्पादित कच्चे तेल को आई ओ सी एल को बेचने में पन्ना–मुक्ता पी एस सी के नियमों का पालन कर रही है और आई ओ सी एल के साथ सी ओ एस ए पर हस्ताक्षर करने की सहमति बनाने के लिए प्रयास कर रही है।*

3.6.6.1.4. जबकि एम ओ पी एन जी ने अपने पूर्व जवाब (फरवरी 2014) में बताया था कि *एम ओ पी एन जी के सर्वाधिक प्रयासो के बावजूद भी कॉन्ट्रेक्टर तथा आई ओ सी एल के बीच लगातार मतभेदो के कारण कॉन्ट्रेक्टर तथा आई सी सी एल के बीच सी ओ एस पर हस्ताक्षर नही हो पाए। जुलाई 2014 में इसने बताया कि कॉन्ट्रेक्टर तथा तेल मार्केटिंग कंपनिओं के बीच असहमति की दशा में, कॉन्ट्रेक्टर को उचित मतभेद सुलझाव प्रणाली से मतभेदों को सुलझाना चाहिए।*

3.6.6.1.5. चूँकि पी एस सी का अवधि समापन होने में केवल पाँच वर्ष बाकी है तथा आई एम एवं जी.ओ.आई. पी पी पर भारी दवाब को ध्यान में रखते हुए, जोकि कीमत में किसी भी बदलाव से आ सकता है, एम ओ पी एन जी हस्तक्षेप करे जैसा कि पूर्व पी ए सी को अपने जवाब में आश्वस्त किया गया था कि मतभेदों को जल्दी सुलझाया जायेगा तथा सी ओ एस ए को हस्ताक्षरित करने की व्यवस्था भी करे।

लेखापरीक्षा सिफारिश 15 जी.ओ.आई., आई.ओ.सी.एल. और पी.एम.टी. जे.वी. के बीच विवादस्पद मुद्दों को शीघ्रता से सुलझाने के द्वारा सी.ओ.एस.ए पर हस्ताक्षर सुनिश्चित करें।

3.7 निष्कर्ष

वर्ष 2008–12 की अवधि के लिए पी एम टी जे वी के उत्पादन सहभागिता अनुबंध पर निष्पादन लेखापरीक्षा निरंतरता ने ऐसे उदाहरणों को दर्शाया जिसमें बेहतर निगरानी करने के लिए गुंजाइश थी ताकि पी एस सी की शर्तों का पालन करना सुनिश्चित किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पी एम टी जे वी उत्पादन सूची को पेट्रोलियम परिचालनों में प्रयोग करते समय और सूची से निकालते समय भारित करने की अपेक्षा क्रय करते समय लेखों को भारित कर रही थी, जो कि पी एस

सी प्रावधानों के विरूद्ध था। साझा व्यय को पन्ना–मुक्ति और ताप्ती अनुबंध क्षेत्रों के बीच युक्तिसंगत आधार जैसे कि विशेष अनुबंध क्षेत्र के लिए वास्तविक व्यय अभिज्ञेय होगा या प्राथमिक गतिविधि पर व्यय के अनुपात की अपेक्षा समान रूप में बाँटा गया, जिसके फलस्वरूप जी ओ आई पी पी प्रभावित हुई।

करारों को प्रदान करने के कमियों के उदाहरण पाये गये। पी एम टी जे वी ने वैल हैड लागत निकालने के लिये पेट्रोलियम संचालनों (प्री वैलहैड और पोस्ट वैलहैड गतिविधियां) के लिए प्रयोग की जाने वाली सभी सुविधाओं पर विचार नहीं किया जिससे जी ओ आई को अदा की जाने वाली रॉयल्टी पर प्रभाव पड़ा। उन्नत रिज़र्वों (1997 से अगस्त 2007) को केपैक्स के परिशोधन और जी ओ आई को अदा की जाने वाली अतिरिक्त रॉयल्टी को कम करने पर विचार नहीं किया।

पी एम टी जे वी ने बिना भूकंपीय ऑकड़े की प्रतीक्षा करे साउथ वेस्ट पन्ना प्रौजेक्ट शुरू कर दिया था जिससे प्रौजेक्ट को बाद में छोड़ना पड़ा जिसके चलते निष्फल व्यय हुआ। पन्ना में जल अन्तःक्षेपण प्रौजेक्ट कार्यान्वयन में हुई देरी के चलते उत्पादन में कमी आयी। आई ओ सी एल के साथ सी ओ एस ए को 1994 से डिलीवरी प्वाईंट, भंडारण शुल्क, डैड भाड़ा समुद्री यात्रा लागतें/नुकसान इत्यादि पर विवादों को न निपटाने की वजह से औपचारिक रूप नहीं दिया गया। पी एम टी जे वी को अभी दिसम्बर 2005 में समझौता करार में ओ एन जी सी के साथ सहमत संघनक के यातायात नुकसानों को निर्धारित करना है।